




वर्ष 1 अंक 11 नवंबर 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र



फरीदाबाद में हत्याकांड

7 अक्टूबर को फरीदाबाद में पुलिस की गोलियों से घायल दो मजदूर 28 अक्टूबर को भी बादशाह खान अस्पताल, फरीदाबाद, में पुलिस के सख्त पहरे में, अपने बिस्तरों के साथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं. निचले चित्र में मरीज की टांगों में लगा पलस्तर ऊपर जांघों तक चढ़ा हुआ है.

—चित्र
पैट्रियट
से साभार

(रिपोर्ट पृष्ठ
2, 3 और 19 पर)

6 नवंबर से 'भेल' कर्मचारियों की अखिल भारतीय लगातार हड़ताल

17 अक्टूबर को फरीदाबाद बंद सफल

हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक नगर फरीदाबाद 17 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहा। फरीदाबाद का समूचा मजदूर वर्ग प्रमुख ट्रेड यूनियनों की आल ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहा। सभी कारखाने, फैक्ट्रियां, दुकानें, बाजार, बैंक, बीमा, दफ्तर, स्कूल, कालेज, सिनेमा, टेलीफोन, डाकघर, आदि मुकम्मिल तौर पर बंद रहे। फरीदाबाद के उद्योगपतियों के गुंडों, पुलिस और भजन लाल की सरकार ने बंद को तोड़ने की साजिश रची। अनुशासनबद्ध और शांतिपूर्ण मजदूरों पर पुलिस और गुंडावाहिनी ने घातक हथियारों और पत्थरों से हमले किए। बिना किसी भड़कावे की कार्यवाही के मजदूरों पर बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाई गईं। कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सी आई टी यू के अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने इस बर्बर हत्याकांड और हरियाणा सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।

फिर वही हमले

एमजैसी की ज्यादतियों को खत्म कराने के लिए फरीदाबाद का मजदूर वर्ग मार्च 1977 से ही संघर्ष के मैदान में कूद पड़ा। बंसीलाल की कांग्रेसी सरकार की तरह ही जनता पार्टी की सरकार ने मजदूरों पर बर्बर हमले करने शुरू कर दिए।

जबरदस्त प्रहार : लगभग स्थाई तौर पर दफा 144 लगी हुई है। सभा-प्रदर्शन आदि के अधिकारों पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। मजदूरों पर झूठे मुकद्दमें बनाना, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल देना, तालाबंदी, ले आफ, छंटनी, क्लोजर रोज की बात है।

और भी तेज : प्रबंधकों द्वारा संगठित 'गुंडावाहिनी' द्वारा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर घातक हमले और मजदूर बस्तियों में आतंक मचाना आम बात है। भजनलाल की सरकार आने के बाद ये हमले और भी तेज हुए हैं।

असंतोष : हजारों औद्योगिक विवाद वरसों श्रम अदालतों में बिना निबटारे के पड़े रहते हैं। किसी मामले में अगर मजदूर जीत भी जाएं तो कानूनी फैसले के बावजूद प्रबंधक उन्हें काम पर लेने से इंकार कर देते हैं। अक्टूबर 1977 में मजदूरों की 350 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग पर कोई बातचीत न करके सरकार ने 250 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी। वह भी ज्यादातर फैक्ट्रियों में लागू नहीं हुई। 100 से 150 रुपये दिए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर विक्टिमाइजेशन व अनेक फैक्ट्रियों में पूर्ण या आंशिक तालाबंदी या हड़ताल कई

महीनों से चल रही है। इस सब से मजदूरों में भारी असंतोष चला आ रहा है।

सीटू की पहलकदमी

इस सबके खिलाफ फरीदाबाद सीटू कमेटी ने एकजुट संघर्ष का आह्वान किया और सीटू की पहलकदमी पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर आल ट्रेड यूनियंस एक्शन कमेटी बनी जिसमें बी. एम. एस. और इंटक का एक हिस्सा शामिल नहीं हुआ। 21 सितंबर को एक विशाल मजदूर सभा आयोजित की गई जिसे सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी ने संबोधित किया। इसमें 6 अक्टूबर को फरीदाबाद बंद का फैसला किया गया।

मांग-पत्र

मजदूर आंदोलन के खिलाफ दफा-144 का इस्तेमाल बंद करने, पुलिस दमन खत्म करने, प्रबंधकों के गुंडों को गिरफ्तार करने, तालाबंदियां खत्म करने, ले-आफ खत्म करने या उसका मुआवजा देने, विक्टिमाइजेशन खत्म करने, न्यूनतम वेतन 350 रुपये मासिक करने, मंहगाई भत्ता देने, बोनस, हड़ताली मजदूरों की मांगों पर समझौता करने आदि की मांगों के 13-सूत्री मांग पत्र पर सरकार, प्रशासन व प्रबंधकों ने एक्शन कमेटी से बातचीत की जरूरत नहीं समझी, हालांकि एक्शन कमेटी ने और समय देने के लिए फरीदाबाद बंद की तारीख 6 की बजाए 17 अक्टूबर कर दी थी।

षड्यंत्र बेनकाब

बातचीत की बजाए हरियाणा के श्रम मंत्री मेहर सिंह राठी ने 13 अक्टूबर

को फरीदाबाद में एक्शन कमेटी को बुलाकर धमकी दी कि 'अगर बंद बापस नहीं लिया गया तो फरीदाबाद को पुलिस छावनी बना दिया जाएगा और पुलिस तथा अपने 'छोरों' की मदद से हम तुमको 'सीधा' कर देंगे। तुम्हारी सब हड़तालें तोड़ दी जाएंगी और फरीदाबाद में एक पत्ता भी नहीं हिल सकेगा।' यह धमकी प्रबंधकों, पुलिस और हरियाणा की भजनलाल सरकार को उस मिलीजुली साजिश का भंडाफोड़ करती है जिसके तहत 17 अक्टूबर को पुलिस गुंडावाहिनी ने फरीदाबाद में बर्बर हत्याकांड किया।

प्रचार : आटो पिस, ईस्ट इण्डिया और अमेरिकन युनिवर्सल के मालिकों ने दूर-दूर से लाए गए पेशेवर गुंडों को भर्ती करके मजदूरों पर हमले करने, जेबी यूनियन बनवाने, हड़तालें तोड़ने के लिए एक गुंडा फौज तैयार कर रखी है। इस 'गुंडावाहिनी' के द्वारा हड़तालें तोड़ने के लिए किए गए हिंसात्मक नंगे नाच पर पर्दा डालकर ये प्रचार करते हैं कि अमुक हड़ताल या संघर्ष यूनियनों की प्रतिद्वंद्विता के कारण है। और यही प्रचार करके 17 अक्टूबर के हत्याकांड पर पर्दा डाला गया है।

अनुशासनबद्ध व शांतिपूर्ण मजदूर

20,000 मजदूरों का एक विशाल जुलूस 15 अक्टूबर को फरीदाबाद के अनेक भागों से गुजरा और अंत में एक सभा हुई। कई घंटों के इस कार्यक्रम में कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना नहीं हुई। मजदूर बराबर शांति बनाए रखे थे।

पुलिस-गुंडावाहिनी द्वारा बर्बर हत्याकांड

16-17 अक्टूबर के बीच रात को एक बजे दफा-144 लगा दी गई. मजदूरों को इसके बारे में पता नहीं लग सका. एकशन कमेटी के ऐलान के मुताबिक 17 अक्टूबर को मजदूर अपनी फैक्ट्रियों में हड़ताल करके छोटे-छोटे जुलूसों को शकल में नीलम पार्क की ओर बढ़े जहां दोपहर बाद एक सभा होनी थी. हिंसा की वारदात तो अलग कहीं कोई छुटपुट घटना भी नहीं हुई. एकशन कमेटी को जब दफा-144 लगने का पता चला तो इसके सदस्य विभिन्न इलाकों में अनुशासनबद्ध व शांतिपूर्ण जुलूसों को भंग करने के लिए चले गये और उसके बाद दफा-144 के विरोध में अपनी गिरफ्तारी देने का फैसला किया.

हत्याकांड

लेकिन पुलिस और गुंडावाहिनी की साजिश तो दूसरी ही थी. सुबह नौ बजे ही नीलम चौक पार्क और रेलवे पुल पर बिना किसी भड़कावे की कार्यवाही के अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी. अनेक व्यक्ति मारे गये, सैकड़ों घायल हुए. अचानक गोली चलाए जाने पर लोग बचाव के लिए पुल की ओर भागे. पुलिस-गुंडावाहिनी ने पुल दोनों ओर से घेर लिया. गोलियों से बचने के लिए दो-तीन मंजिल उंचाई के पुल से मजदूरों ने छलांगें लगाई. पुल के नीचे भुग्गी-भोपड़ियों की ओट लेकर भाग रहे मजदूरों पर निशाने साध कर गोली चलाई गई. पुल पर घेरे गए मजदूरों को पुलिस ने निर्ममता से मार-मार कर पुल से नीचे फेंक दिया. फिर भुग्गियों पर आंसूगैस के गोले छोड़े गए. साढ़े तीन बजे तक गोलीबारी जारी रही.

गुंडावाहिनी सक्रिय

पुलिस हैडक्वार्टर के पास पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने एक बस में आग लगाई. नीलम चौक पर एक गाड़ी फूंकी ताकि गोली चलाने का बहाना गड़ा जा सके. गुंडावाहिनी के बदमाशों ने भीड़ में शामिल होकर एक रैलगाड़ी रोकी. सब कुछ पुलिस की सांठगांठ से हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी

सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य विश्वनाथ मेनन, एम.पी., दिल्ली सीटू के अध्यक्ष शादी राम और सचिव जोगेन्द्र शर्मा, हरियाणा सीटू के अध्यक्ष रघुबीर सिंह हुड्डा जब घटनास्थल पर 18 अक्टूबर को पहुंचे तो नृशंस हत्याकांड को यह कहानी पुल के नीचे भुग्गियों में रहने वालों खासकर महिलाओं और बच्चों ने बताई.

पुलिस-गुंडावाहिनी ने हत्याकांड का दूसरा स्थान अपने सरगना यू. एम. जैन की ईस्ट इंडिया काटन मिल के पास प्रेस कालोनी और पंजाबी कालोनी को चुना. प्रत्यक्षदर्शियों ने उपरोक्त दल को बताया

कि ईस्ट इंडिया मिल से कोई सौ-डेढ़ सौ गुंडे मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में लोहे की लंबी-लंबी छड़ी लिए निकले. साथ पुलिस थी. पुलिस के साथ एक ट्रक पत्थरों से भरा चल रहा था. गुंडों और पुलिस ने विभिन्न टुकड़ियों में बंटकर जुलूसों पर हमले किये. जुलूस तित्तर-बित्तर हो गया. भागते मजदूरों पर पत्थर बरसाए गए. गोलियां चलाई गई. गुंडों ने पुलिस की जीप को आग लगा दी. पुलिस व गुंडों ने घरों में घुसकर लोगों को मारा. छतों पर चढ़कर उन्होंने गोलियां चलाई. छत पर खड़ा गवर्नमेंट

[शेष पृष्ठ उन्नीस पर]

दुर्गापुर इस्पात मजदूरों द्वारा सीटू संघर्ष फंड में रु. 1,35,000 का अनुदान

इस्पात कर्मचारियों के अखिल भारतीय स्तर पर सफल समझौता होने के बाद सीटू के अध्यक्ष ने इस्पात कर्मचारियों से अपील की कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति सीटू संघर्ष राशि में दें. याद रहे कि इस्पात कर्मचारियों के संघर्ष व अखिल भारतीय स्तर पर सफल समझौता करवाने में सीटू का योगदान महत्वपूर्ण था. दुर्गापुर के हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कर्मचारी यूनियन ने इस अपील का तत्काल स्वागत किया. हर इस्पात कारखाने में समझौते से प्राप्त राशि की पहली किस्त मिलने के समय पैसा इकट्ठा करने का अभियान चलाया गया. सीटू अध्यक्ष की अपील का मजदूरों में व्यापक रूप से असर पड़ा. एक विशाल जनसभा में दुर्गापुर स्टील प्लांट मजदूरों की ओर से सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे को एक लाख रुपये का चेक दिया गया. इसी अवसर पर एलाय स्टील प्लांट मजदूरों की ओर से 35 हजार का एक और चेक भी कामरेड रणदिवे को दिया गया.

इस अवसर पर बोलते हुए कामरेड रणदिवे ने इतनी बड़ी राशि इकट्ठी करने पर मजदूरों का धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस राशि का उपयोग सीटू को मजबूत बनाने में किया जाएगा. दुर्गापुर में संघर्ष की महान परंपराओं की ओर मजदूरों का ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सीटू को दुर्गापुर इस्पात मजदूरों के महान संघर्षों पर गर्व है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह जुभाहू परंपरा आने वाले समय में और भी मजबूत होगी. सीटू अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि अन्य इस्पात कारखानों के मजदूर भी दुर्गापुर की परंपराओं का अनुसरण करेंगे.

इससे पहले अखिल भारतीय इस्पात मजदूर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसने अगले वर्ष के शुरू में एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया. सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे तथा सीटू सचिव एम. के. पंधे ने इसमें भाग लिया.

27 नवंबर को राष्ट्रीय कनवेंशन

ए. आई. एल. आर. एस. ए., ए. आई. आर. एफ., एन. एफ. आई. आर., आई. आर. डब्ल्यू. एफ., बी. आर. एम. एस. और ए. आई. आर. ई. सी. के महा-सचिवों ने 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में निर्णय लिया कि सरकार को नोटिस दिया जाए कि यदि नवंबर के अंत तक रेल कर्मचारियों की मांगें मंजूर नहीं की गई तो उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के सिवाए कोई रास्ता नहीं रहेगा.

उनकी मांगें हैं— 1. बोनस, 2. अन्य सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्योगों के समान वेतन, 3. आठ घंटे से ज्यादा काम के घंटे न हों, 4. स्थायीकरण, 5. कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी, 6. समयानुसार पदोन्नोत्ति, 7. (क) अतिरिक्त बढ़ोतरी, (ख) विक्टिमाइजेशन का खात्मा, (ग) मई 1974 में हुई हड़ताल व आपातकाल के दौरान विक्टिमाइज हुए कर्मचारियों को पूरा वेतन, 8. मंहगाई भत्ते में संशोधन.

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई बातचीत करनी हो तो तैयारी कमेटी करेगी. यह भी तय हुआ कि सभी स्तरों पर एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए जिसके लिए 9-10 नवंबर को इन सभी संगठनों की वरिष्ठ कमेटी संयुक्त रूप से दिल्ली में मिलेगी.

एक राष्ट्रीय कनवेंशन का भी आयोजन 27 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा जिसमें रेल कर्मचारियों के सभी क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संगठन जो इन छः संगठनों में शामिल नहीं हैं, भाग ले सकते हैं. हड़ताल करने की तारीख इस कनवेंशन में निश्चित होने की आशा है.

एन. ई. रेलवे एल. आर. एस. ए. द्वारा 'नियमानुसार काम' आंदोलन

एन. ई. रेलवे की लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने 3 अक्टूबर से 'नियमानुसार काम' आंदोलन शुरू किया क्योंकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया गया फैसला—10 घंटे की ड्यूटी, पेनेल मेजर और विक्टिमाइजेशन का खात्मा, फायर-मेन "ए" पेनेल का खात्मा व कर्मचारियों पर थोपे गये बदली आदेश वापस लेना चार

आदि, लागू नहीं किया गया. दूसरी तरफ 25 सितंबर को जनरल मैनेजर के सामने प्रदर्शन में भाग लेने के कारण 2500 लोको रनिंग स्टाफ पर ब्रेक-इन-सर्विस थोपा गया.

यह मसला लोको रनिंग स्टाफ शिकायत कमेटी में 5 अक्टूबर को विवाद के लिए रखा गया और परिस्थिति को शांत करने के लिए महासचिव एस. के. धर ने दिल की बीमारी के बावजूद भी यात्रा की तकलीफें सहन करके इन कठिन समस्याओं को ठंडा करने के लिए मध्य-स्ती की. एन. ई. रेलवे के अधिकारियों ने उनका सुभाव ठुकरा कर विक्टिमाइजेशन करना शुरू किया. उन सभी कर्मचारियों के नाम जिन्होंने नियमों के उल्लंघन के कारण, काम करने से इंकार कर दिया था, काट दिये. क्षेत्रीय सेना की कई युनिटों का प्रयोग किया गया. लेकिन जब टी. ए. कर्मियों ने यह देखा कि उनका प्रयोग हड़ताल तोड़ने वालों के रूप में किया जा रहा है, तब उन्होंने काम करने से इंकार कर दिया. एल. आर. एस. ए. के महासचिव ने, गोरखपुर से वापस आने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को याद दिलाया

कि यदि यह मामला 20 अक्टूबर तक नहीं सुलझाया गया तो दूसरे क्षेत्रों की एल.आर.एस.ए. को एकजुटता कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि रेलवे के जनरल मैनेजर रेलवे बोर्ड के निर्णय को लागू करने से इंकार कर रहा है.

एक अच्छे वातावरण में, आगे की बातचीत शुरू हुई. जब अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड के निर्णय को लागू करना स्वीकार किया तब एक मान्य समझौता हुआ.

सफाई कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

मदुराई डिवीजन (सदर्न रेलवे) के मेडिकल सैनटरी स्टाफ ने, जनरल मैनेजर द्वारा दूसरे विभागों में उनकी काम पर लगाने पर पाबंदी के आदेश के विरुद्ध 12 अक्टूबर को भूख हड़ताल की.

आर.डी.एस.ओ. में आतंक

एक श्री अग्रवाल ने आर.डी.एस.ओ. लखनऊ में सिविलियन सुरक्षा इंस्पेक्टर बनने के बाद आतंक भरा शासन शुरू कर दिया. जब एकबार एक पर्दा नहीं मिला तो उसने न केवल गरीबचंद दास को अपने आफिस में गैरकानूनी ढंग से उसकी ड्यूटी के बाद बंद कर दिया और बंदी रखने के समय का ओवर टाइम भत्ता देने से इंकार कर दिया बल्कि उसके रहने का स्थान जो कालोनी से बाहर था, की तलाशी करवाई जो उसके सामान्य कार्य से बाहर का था.

आर.डी.एस.ओ. के मजदूरों ने इस इंस्पेक्टर के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया और उसके खिलाफ न्यायोचित कदम उठाने की मांग की है जिसने ऐसा बर्ताव किया जैसा की 'आंतरिक आपात-काल' फिर से लागू हो गई हो.

जे. एम. ए. मजदूरों द्वारा सीटू को 5000 रुपये

जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड फरीदाबाद के मजदूरों का बोनस, इंसेंटिव स्कीम व अन्य मांगों के लिए लम्बे अर्से का संघर्ष, मालिकों के साथ हुए समझौते के बाद सफलतापूर्वक समाप्त हुआ. इस समझौते को सफल बनाने में सीटू केंद्र का बड़ा हाथ रहा था इसीलिए सीटू के लिए जे. एम. ए. मजदूर यूनियन (सीटू) ने फंड इकट्ठा करने का निर्णय किया.

13 सितंबर को फरीदाबाद में मजदूरों की एक रैली हुई जिसमें सीटू के सचिव एम. के. पंचे को 5000 रुपये का चेक दिया गया. फरीदाबाद सीटू जिला कमेटी को भी मजदूरों ने 2000 रुपये दिये. दिल्ली की सीटू राज्य कमेटी के महासचिव जयंत राय भी वहां मौजूद थे.

6 नवंबर से लगातार हड़ताल

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स (‘भेल’) की संयुक्त समझौता-वार्ता कमेटी ने वेतन-वृद्धि, महंगाई भत्ता, वेटेंज, फिटमेंट, तरक्की के रास्ते व सुविधायें, महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी जिससे महंगाई बढ़ने के अनुपात में वेतन में बढ़ोतरी हो आदि मामलों पर हुई समझौता-वार्ता में अपनी नाकामयाबी का इजहार किया है।

अमान्य प्रस्ताव

‘भेल’ के व्यवस्थापकों व सरकार से हुआ पिछला समझौता 31 अगस्त 1977 को खत्म हो गया था। पिछले दो साल से ‘भेल’ मजदूरों की समस्याएं सरकार के सामने थीं तथा मजदूर पक्ष संयुक्त बातचीत कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश धैर्यपूर्वक कर रहे थे। अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए मजदूरों ने 6 अप्रैल 1979 को सांकेतिक हड़ताल की। इस हड़ताल का उद्देश्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना भी था कि वे ‘भेल’ व्यवस्था के प्रतिनिधियों पर जोर डालें कि वे मजदूरों से हो रही बातचीत को गम्भीरता से लें व उनके साथ जल्दी न्यायोचित समझौता कर लें। इस सांकेतिक हड़ताल का सरकार या व्यवस्थापकों पर कोई असर न पड़ा। दोनों की ओर से इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि वे हालत की गंभीरता को समझते हैं। व्यवस्थापकों की ओर से हो रहे विलंब व उदासीन रुख के बावजूद मजदूरों के प्रतिनिधि बातचीत में इस आशा से भाग लेते रहे कि जिस प्रकार पहले मौकों पर संयुक्त बातचीत कमेटी द्वारा समस्याओं को सुलझाया गया है उसी प्रकार इस बार भी मजदूरों की समस्याओं पर सही समझौता हो जायगा। किन्तु 4 अक्टूबर को हुई आखिरी मीटिंग में मजदूरों के प्रतिनिधि व्यवस्थापकों के मजदूर विरोधी रुख से पूरी तरह निराश हो गए। व्यवस्थापक बिलकुल न माना जा सकने वाला एक ऐसा सुझाव लेकर आए जिसके अनुसार ‘भेल’ के मजदूरों को नुकसान में चलने वाले कोयला खदान तथा इस्पात मजदूरों से भी कम पैसा

मिलता और उन्होंने कहा कि इससे अधिक देने की उन्हें इजाजत नहीं है।

फर्क : संयुक्त बातचीत कमेटी में मजदूरों के प्रतिनिधियों ने दलील दी कि कोयला व इस्पात उद्योगों को हर साल भारी नुकसान होता है जबकि ‘भेल’ बहुत मुनाफा कमाकर देता है। इस कारण ‘भेल’ के मजदूरों को कोयला व इस्पात उद्योगों के मजदूरों से अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए।

और कोई रास्ता नहीं

मजदूरों के सहयोग व संयुक्त बातचीत कमेटी में मजदूर नेताओं के जिम्मे-

दाराना व रचनात्मक रवैये से बातचीत में अब तक हो रही प्रगति संभव हो पाई। लेकिन ऐसा लगता है कि व्यवस्थापकों को इस बात का पूरा अधिकार नहीं है कि वे स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सही समझौता कर लें। इसके पीछे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में व्यवस्था की नीतियों पर सही समझ की कमी तथा इन उद्योगों के व्यवस्थापकों को इन उद्योगों की समस्याएं सुलझाने के लिए पूरी आजादी न दिया जाना है। मजदूरों के प्रतिनिधियों ने ध्यान दिलाया कि ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा जारी किये गए निर्देश मजदूरों की उचित मांगों को मानने में बाधक नहीं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बारे में आश्वासन दिया है कि ये निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी में आड़े नहीं आते। किन्तु मजदूरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के इस निर्देश का कोई असर व्यवस्थापकों के

[शेष पृष्ठ अठारह पर]

झांसी में ‘भेल’ कर्मचारी की हत्या

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (‘भेल’), झांसी युनिट का आर्टीजन ग्रेड थर्ड व ‘भेल’ मजदूर यूनियन (सीटू) झांसी के संगठन सचिव जे. सी. बुंधीवाल की सी. आई. एस. एफ. कर्मियों द्वारा 31 अगस्त को हत्या कर दी गई। 28 वर्षीय बुंधीवाल की पत्नी व छः महीने का एक बच्चा है।

‘भेल’ प्रबंधकों ने उस पर अपने क्षेत्र में टूल डाउन हड़ताल की मदद के लिए बिजली के स्विच को पावर सप्लाय काटने के लिए बंद करने का आरोप लगाया था। यह आरोप साबित नहीं हो सका लेकिन मालिकों ने उसे निकाल दिया। यह मामला छानबीन करने वाले अधिकारी को सौंपा गया था जो उसके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस दौरान झांसी के ‘भेल’ प्रबंधकों ने बुंधीवाल को कंपनी द्वारा दिये एक मकान को उस समय जबरन खाली कराया जब मकान में केवल उसकी पत्नी व बच्चा ही

मौजूद थे। यह बात ध्यान देने की है कि ऐसे कई मामले मौजूद हैं जिनमें कंपनी के मकानों को दूसरों को किराए पर देने में कंपनी के उच्चाधिकारी शरीक हैं।

उनके परिवार को जबरदस्ती निकालने के विरोध में यूनियन ने फैंक्ट्री गेट के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। इससे प्रबंधकों ने एक षडयंत्र रचा और करीबन 25-30 सी. आई. एस. एफ. कर्मियों ने बुंधीवाल को अपनी पान की दुकान से, जिसे उसने फैंक्ट्री से निकाले जाने के बाद जीविका के लिए खोला था, घसीटकर निर्दयता से उस पर लाठियों से हमला किया जिसके कारण झांसी मेडिकल कालेज अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

‘भेल’ मजदूर यूनियन ने इस घटना की जांच, उनकी विधवा पत्नी को काम, क्षतिपूर्ति, स्मारक के लिए स्थान व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है।

जय प्रकाश नारायण

योद्धा और समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने 8 अक्टूबर, 1979 को अपनी अंतिम सांस ली. सीटू और सीटू मजदूर उनके देहांत पर गहरा दुख और शोक प्रकट करती हैं.

हमारे देश की जनता, तीसरे दशक के शुरू में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने और देश के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान की यादगार का हमेशा सम्मान करेगी. श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन के खिलाफ संघर्ष को संगठित करने में शानदार भूमिका निभाने तथा जनतंत्र और नागरिक अधिकारों की जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भेजा गया, इन सबको हमारे देश की जनता की याद से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता.

हम दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना भेजते हैं.

रामानंद सिंह

बिहार किसान सभा के महासचिव तथा सी. पी. आइ. (एम.) की बिहार राज्य कमेटी के सेक्रेटेरियट के सदस्य कामरेड रामानंद सिंह की 19 अक्टूबर को राजगीर से पटना बस में आते हुए कुछ डकैतों ने क्रूर हत्या कर दी.

1925 में पैदा हुए का० रामानंद सिंह ने स्वाधीनता आंदोलन में तब

हिस्सा लिया जब कि वे दसवीं कक्षा के विद्यार्थी थे और बाद में आजाद हिंद फौज के सदस्यों की रिहाई के लिए एक आंदोलन के नेतृत्व के दौरान वे प्रकाश में आए. उन्होंने अपना सारा जीवन बिहार राज्य में किसान आंदोलन को मजबूत बनाने में समर्पित किया. उन्होंने बिहार में वामपंथी व जनवादी आंदोलन को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. उनकी इस असास्यिक मौत से देश के जनवादी आंदोलन ने एक महान देशभक्त और गांधों की गरीब जनता ने एक बहादुर योद्धा खो दिया है.

सीटू और सीटू मजदूर कामरेड रामानंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं तथा उनके शोकग्रस्त परिवार को हार्दिक संवेदना प्रकट करती हैं.

चंद्र सिंह गढ़वाली

सीटू और सीटू मजदूर कामरेड चंद्रसिंह गढ़वाली की एक अक्टूबर को मृत्यु होने पर अत्यधिक व्यथित हैं. वह 90 वर्ष के थे.

पिछड़े हुए पहाड़ी इलाके गढ़वाल के जो कि ब्रिटिश फौज के लिए भर्ती करने का प्रमुख इलाका था गरीब किसान परिवार से आने वाले कामरेड गढ़वाली फौज में भर्ती हो गए थे. किंतु पेशावर में 26 अप्रैल 1930 को हुए सत्याग्रह के दौरान उन्होंने पलटन में हवलदार की हैसि-

यत से एक विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया जिसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया. जेल में उच्च कैद की सजा के दौरान वे कम्युनिस्ट आंदोलन के संपर्क में आए और छूटने के बाद कोई आफिस या पद स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपना सारा जीवन गढ़वाल क्षेत्र के गरीब किसान की बेहतरी के लिए लगा दिया.

सीटू और सीटू मजदूर इस क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं तथा शोकग्रस्त परिवार को अपनी संवेदना भेजती हैं.

के.एस. वासन

कोलार गोल्डफील्ड्स में, सोने की खान के मजदूरों के नेता और कर्नाटक प्रोविशियल प्लान्टेशन वर्कर्स यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष कामरेड के. एस. वासन का 14 अक्टूबर को बंगलोर में देहान्त हो गया. उन्हें दिल की बीमारी थी.

वे सीटू की 1970 में हुई पहली कानफ्रेंस में जनरल काउंसिल के सदस्य चुने गये थे. वे पहले कम्युनिस्ट एम. एल.ए. थे जो 1952 में मैसूर विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे.

सीटू और सीटू मजदूर, सीटू की कर्नाटक राज्य कमेटी व उनके शोकग्रस्त परिवार के प्रति हार्दिक खेद व्यक्त करती हैं.

खेत मजदूरों का अखिल भारतीय कनवेंशन

खेत मजदूरों का अखिल भारतीय कनवेंशन 23 अक्टूबर को प्यारेलाल भवन, नई दिल्ली में हुआ जिसका आयोजन आल इंडिया किसान सभा (ए. आई. के. एस.), इंडियन नेशनल रूरल लेबर फंडेशन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, पश्चिम बंगाल कृषि मजदूर यूनियन और श्री. के. वी. रघुनाथ रेड्डी एम. पी. ने किया. किसान पंचायत ने भी इस एकता को बनाने वाले प्रयत्न में भाग लिया. ए. आई. के. एस. के महासचिव के. चातुर्नी

मास्टर एम. पी. ने कनवेंशन के प्रतिनिधियों का आयोजकों की ओर से स्वागत किया.

इस कनवेंशन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें यह जोरदार मांग की गई कि खेत मजदूरों के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाए. इस कानून में खेत मजदूरों को ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान किए जायें जिसमें रजिस्ट्रेशन की आसानी हो जिसमें श्रम-मंत्रालय के अधीन एक अलग से विभाग बनाकर उसमें वेतन में

स्थिरता, काम करने की स्थिति में सुधार रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन, बीमारी के लिए अवकाश व अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें.

प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि सामाजिक सुरक्षा कमेटी में मजदूरों के प्रतिनिधि हों. सभी स्तरों पर त्रिपक्षीय बाडीज बनाकर कानून को लागू करवाया जाए. इसके अतिरिक्त सीटू के सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने खेत मजदूरों को विरादराना संदेश दिया और उनके संघर्ष को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया.

इंटक और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का आंदोलन

इंटक ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एकजुट आंदोलन में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है. इससे पहले औद्योगिक संबंध बिल 1978 के विरोध में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में इंटक ने भी भाग लिया था. जुलाई में बंगलौर में हुए सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के अखिल भारतीय कनवेंशन में भाग न लेने व इस आंदोलन से अपने आपको दूर रखने की नीति के पीछे इंटक की सार्वजनिक क्षेत्र के आकाश्यों की खुशामद करने की नीति है.

भारी समर्थन

इंटक के इस रवैये के बावजूद बंगलौर सम्मेलन के आह्वान पर 14 सितंबर को हुई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल को सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मजदूरों का भारी समर्थन मिला. हड़ताल की तैयारी के दौरान सभी संबद्धताओं और केंद्र के मजदूरों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया. यह उत्साह इतना अधिक था कि कई जगहों पर इंटक की यूनियनों को भी हड़ताल का नोटिस देने पर मजबूर होना पड़ा. इंटक के कई नेताओं ने भी हड़ताल में शामिल होने का समर्थन करते हुए 'व्यक्तिगत राय' देनी शुरू कर दी.

दबाव के कारण

भरपूर कोशिशों के बावजूद इंटक नेता सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की मांगों पर चुप न रह सके. मजदूरों के दबाव व गुस्से के कारण इंटक को सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की इंटक संबद्ध यूनियनों की एक अखिल भारतीय कान्फ्रेंस बुलानी पड़ी. यह कान्फ्रेंस 2 और 3 सितंबर को बंबई में हुई. इस सम्मेलन में बंगलौर कनवेंशन के रूबरू एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया गया. इस प्रस्ताव में आगे कहा गया : "भविष्य में ऐसे हालात बन सकते हैं जबकि हमें अन्य राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के मोर्चे में शामिल होना पड़े. कम से कम इतना तो जरूरी है ही कि हर स्तर पर हम एक ही रणनीति अपनाएं." प्रस्ताव में फिर कहा गया कि "इंटक मेहनतकश वर्ग की जरूरतों व उमंगों को पूरा करने के लिए अग्रर मुमकिन हुआ तो मजदूरों की अन्य

संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और यदि जरूरी हुआ तो यह अकेला ही इन मांगों पर संघर्ष करेगा"

समझौतावादी रुख

इस सम्मेलन ने एक दिन की हड़ताल करने का आह्वान तो कर दिया लेकिन हड़ताल की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया. इंटक के सम्मेलन को ऐसा समझौतावादी रुख इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि कई इंटक-संबद्ध यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने का फैसला कर लिया था. यह निर्णय इंटक की ऐसी यूनियनों को भी माफिक आया जो हड़ताल में भाग न लेना चाहते थे. इस प्रकार के सिद्धांतहीन समझौते से बाहर से तो इंटक की एकता का भ्रम हो सकता है किन्तु किसी भी समझदार व्यक्ति से इंटक के अंदर चल रहे तीखे

एटक समर्थक तत्वों द्वारा सम्मेलन में गड़बड़

जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया (जी. एस. आई.) कर्मचारी एसोसियेशन का मध्य क्षेत्रीय सम्मेलन 19 सितंबर को न्यू सेक्रेटेरियट हाल (नागपुर) में हुआ. सीटू के नागपुर क्षेत्र के सचिव भीमराव खोब्रागाडे ने इसका उद्घाटन किया.

जब इस सम्मेलन में बोनस के सवाल पर बहस चल रही थी, तब लगभग 70-80 एटक समर्थक लोग सम्मेलन भवन में घुस आए. वे उतेजक नारे लगा रहे थे. उन्होंने मजदूरों की मांगों को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर फाड़ डाले तथा लाल भंडे उतार फेंके.

परिणामस्वरूप, अध्यक्ष मंडल को सभा स्थगित कर देनी पड़ी. प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे शांतिपूर्वक अपने स्थानों पर बैठे रहें. तीन घंटे तक गड़बड़

मतभेद छुपे नहीं रह सकते. कुछ केंद्रों में इंटक यूनियनों ने जोर-शोर से हड़ताल का समर्थन किया. किंतु कुछ और केंद्रों में इंटक यूनियनों ने खुले तौर से हड़ताल के खिलाफ काम किया व मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश की. कुछ अन्य केंद्रों में यह भी देखा गया कि उन्होंने हड़ताल के खिलाफ तो काम नहीं किया किंतु हड़ताल का समर्थन भी नहीं किया.

गलत रवैया

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एकजुट आंदोलन के सवाल पर अपनाए गए अजीब रवैये से इंटक से सहानुभूति रखने वाले आम मजदूरों में भ्रम फैल रहा है. इंटक नेताओं के लिए अपने अनुयायियों को एकजुट आंदोलन से दूर रखना मुश्किल होगा. हम आशा करते हैं कि इंटक के नेता इस मुद्दे पर अपनाए गए अपने गलत रवैये को समझेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष से जुड़ने के लिए कदम उठायेंगे. 14 सितंबर की हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के इस आंदोलन की दिशा में पहला कदम है. कई संघर्ष आगे चल रहे हैं. यदि इंटक के नेता भी इस संयुक्त आंदोलन में शिरकत करें तो उनका यह कदम आंदोलन की एकता को और मजबूत बनायेगा.

जी. एस. आई. मजदूर

करने के बाद एटक समर्थक गुंडों ने अध्यक्ष मंडल तथा प्रतिनिधियों को हाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया. न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग के कर्मचारियों ने इन उपद्रवियों का साथ दिया. पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इस गुंडागर्दी के खिलाफ सम्मेलन करने वालों की कोई सहायता करने के बजाय उनसे हाल के प्रयोग करने की अनुमति तक वापस ले ली गई. फलस्वरूप, सम्मेलन को एक अन्य स्थान पर दुबारा बुलाना पड़ा.

21 सितंबर को सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ जिसमें दूसरे नेताओं के अलावा नागपुर के डिप्टी मेयर ने भी भाषण दिया. कई प्रस्ताव पास किये गए जिनमें जरूरत पर आधारित मजदूरी, सबके लिए बोनस, महंगाई की पूरी भरपाई दी जाने आदि प्रमुख हैं.

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करो

दवा उद्योग में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जितना पैसा आबकारी, सीमाशुल्क तथा अन्य करो के रूप में राष्ट्रीय आय में देती हैं उससे कई गुना अधिक पैसा लाभांश, रायल्टी, ऊंची तकनीकी जानकारी आदि के बहाने देश से बाहर निकाल लेती हैं। हाथी कमेटी की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की जोरदार सिफारिश के बावजूद सरकार इन कंपनियों को अधिक से अधिक लाइसेंस व अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। सिनेमाइड, फाइजर, वयाथ, शेरिंग, तथा अपजान जैसी कई अमरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में दवाएं महंगी बेचने के आरोप में सजा भुगतनी पड़ती है। किंतु भारत में वे यूरोपीय मंडी के प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों से कई गुना महंगी दवाएं बेचने पर भी साफ बच निकलते हैं तथा सरकार इस खुली लूट की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देशों में प्रतिबंधित दवाइयों के भंडारों को भारत लाकर खुले आम बेचती हैं।

ज्यादातियां

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की लूट व जालसाजियों का पर्दाफाश करते हुए फेडे-रेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसो-सियेशन आफ इंडिया तथा ए.आई.सी.ए.-पी.ई.एफ. ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। बहुराष्ट्रीय उत्पादक संघ इन कंपनियों के मजदूर आंदोलन के नेताओं व कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। यूनियन के प्रतिनिधियों ने श्रम तथा पेट्रोलियम रसायन विभाग के मंत्रियों का ध्यान इस ओर बार-बार दिलाया है, परंतु उनके कानों पर जू तक भी नहीं रेंगी है। तत्कालीन श्रम मंत्री ने संसद में यह घोषणा की थी कि वे दवा उद्योग के मामलों को सुलभाने के लिए एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलायेंगे परंतु अब तक भी इस वायदे पर अमल नहीं हुआ है। इन हालातों में एफ.एम. आर.ए.आई. तथा ए.आई.सी.ए.पी.ई.एफ. के आगे इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं रह गया है कि वे दवा उद्योग के मजदूरों के आंदोलन को तेज करें व उचित समय पर सारे दवा उद्योग में हड़ताल के लिए भी तैयार रहें।

कार्यक्रम

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा मजदूरों व आम भारतीय जनता के शोषण का पर्दाफाश करने के कार्यक्रम के तहत सारे देश में श्रम सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं। इस पत्रिका के अक्टूबर अंक में हमने हैदरा-

बाद तथा पटना में आयोजित ऐसे दो सम्मेलनों की रपट दी थी। हमें इस प्रकार की रपटें अन्य केंद्रों से लगातार मिल रही हैं।

ग्लैक्सो की आलोचना

बिहार स्टेट सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की ओर से देहरी-आन-सोन (बिहार) में 16 सितंबर को एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में सारे रोहतास उद्योग क्षेत्र तथा आस-पास की 30 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूनियन के अध्यक्ष तथा एफ.एम. आर.ए.आई. के सचिव पी.के. गांगुली ने अपने भाषण में विशेष रूप से ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की आलोचना की जिसके प्रबंधक मजदूरों पर दमनचक्र चला रहे हैं तथा मजदूर विरोधी काम कर रहे हैं।

समन्वय समिति

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि रोहतास जिले की सभी यूनियनों व संस्थाओं की एक जिला समन्वय समिति का गठन किया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के मजदूर वर्ग के मुद्दों पर एक-जुट संघर्ष चलाया जा सके। इस दिशा में एक संचालन समिति का गठन किया गया।

नयी दवा नीति की आलोचना

पश्चिम बंगाल में कमर्शल ट्रैवलर्ज एसोसियेशन ने इस प्रकार के दो सम्मे-

लनों का आयोजन किया। माल्दा में 8 सितंबर को हुए सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन जी.एस.चटर्जी ने किया। एफ.एम. आर. ए.आई. तथा ए.आई.सी.ए.पी.ई.एफ. के महासचिव टी. सी. मजूमदार ने सरकार की दवा नीति की तीखी आलोचना की। (याद रहे कि श्री मजूमदार को उनकी ट्रेड यूनियन गति-विधियों के लिए ग्लैक्सो कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।) कूच बिहार में 16 सितंबर को हुए दूसरे सम्मेलन में 80 बिरादराना प्रतिनिधियों तथा उमड़ते हुए जनसमुदाय ने भाग लिया। इन सम्मेलनों में स्थानीय सांस्कृतिक इकाइयों ने नुककड़ नाटक व क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किए।

पश्चिम बंगाल राज्य सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने इसी प्रकार का एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन बांकुरा में 8 सितंबर तथा कलकत्ता में 22 सितंबर को बुलाया। कलकत्ता में सम्मेलन से पहले राज्य श्रम मंत्री को एक स्मरण पत्र दिया गया जिसमें सरकार से मांग की गई कि वह एस. पी. ई. एक्ट 1979 को लागू करवाए। सम्मेलनों में भाषण करते हुए सीटू के उपाध्यक्ष तथा सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में जब कि बुर्जुआ पार्टियां अपने ही अंतविरोध के कारण विघटित हो रही हैं, मजदूर वर्ग के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और उसे उस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा।

मांगें

सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किए गए उनमें मांग की गई कि नौकरी से निकाले गए मजदूरों को वापस लिया जाए, ट्रेड यूनियन अधिकार बहाल हों, सभी बहुराष्ट्रीय तथा एकाधिकारी घरानों द्वारा चलाई जा रही दवा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो, दवा की कीमतों में कमी की जाए तथा दवा कंपनियों में हो रहे घोटाले व भ्रष्टाचार की जांच हो।

रोमानिया में ट्रेड यूनियनों का स्थान और महत्व

रोमानिया के मेहनतकश लोगों का आज उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व है। वे ही सामाजिक संपत्ति के उत्पादक हैं। देश के आर्थिक विकास के काम को आगे ले जाने में वे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देते हैं।

रोमानिया की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में रोमानिया के मजदूर वर्ग ने फासीवाद के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान मेहनतकश जनता के सभी वर्गों में एकजुट होने की चेतना जगी। फल-स्वरूप जनवरी 1945 में सभी ट्रेड यूनियनों ने एक कनफेडरेशन बना लिया जिससे राजनैतिक सत्ता को जीतने व उसके द्वारा रोमानिया में समाजवाद स्थापित करने के काम में अभूतपूर्व सहयोग मिला। क्रांति के बाद केवल 30 वर्ष में ही रोमानिया का कायाकल्प हो गया। क्रांति से पहले रोमानिया एक पिछड़ी हुई कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश था। किंतु क्रांति के इन 30 वर्षों के बाद वह एक संतुलित कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। प्रथम विश्व-युद्ध से पहले 1938 में रोमानिया का उत्पादन अपने इतिहास में सबसे अधिक हुआ था। किंतु अब रोमानिया का औद्योगिक उत्पादन 1938 के उत्पादन से चालीस गुना अधिक है। यह अभूतपूर्व उत्पादन व प्रगति मजदूर वर्ग ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुटता व सहयोग से ही संभव हो पाया है।

भागीदारी

रोमानिया में देश की अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर ट्रेड यूनियनों की सलाह मांगी जाती है। सामाजिक ढांचे के हर स्तर पर मेहनतकश लोगों के किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने में उनकी शिरकत होती है। ट्रेड यूनियन के सदस्यों को ग्रांड नेशनल एसेम्बली में डिप्युटीज चुना जाता है। उन्हें राज्य की स्थानीय संस्थाओं—जिन्हें पीपल्स काउंसिल कहा जाता है—में भी चुना जाता है। इसी प्रकार, संविधान के अनुसार जनरल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष कैबिनेट स्तर का मंत्री होता

है। रोमानिया की 11,000 ट्रेड यूनियनों 13 विभागीय ट्रेड यूनियनों (धातुकर्म, खदान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि) से संबद्ध हैं। ये विभागीय ट्रेड यूनियनों जनरल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन से संबद्ध हैं। विभागीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का एक सदस्य हर मंत्रालय की संचालन समिति या केंद्रीय संस्था का सदस्य होता है।

अधिकार

इस कानूनी प्रतिनिधित्व से यह संभव होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले ट्रेड यूनियनों के विचार जान लिए जाएं। हर इकाई में मजदूरों की महासभा को यह वैधानिक अधिकार है कि वे उस उद्योग में सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वशासन चलाएं। उन्हें यह भी अधिकार है कि उस इकाई का निदेशक यदि सही काम न करे तो वे उसे भी निकाल दें। मेहनतकश लोगों की काउंसिल का नेतृत्व नेशनल काउंसिल आफ वर्किंग पीपल नाम की एक स्थायी संस्था करती है जिसकी स्थापना दो वर्ष पहले की गई है। इसके अध्यक्ष राष्ट्र के प्रेसीडेंट होते हैं। इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियों द्वारा ट्रेड यूनियनों देश की प्रगति में अपना योगदान देती हैं।

बाध्य

इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था के विशाल क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों शिरकत करती हैं। यह शिरकत कारखानों को सामूहिक रूप से चलाने तथा सामान्य ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने दोनों प्रकार से होती है। कारखानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने व उत्पादन को बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों अपने सुझाव देती हैं। कारखानों के व्यवस्थापक इन सुझावों पर ध्यान देने व इन्हें अमल

में लाने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

जिम्मेदारी

रोमानिया की ट्रेड यूनियनों राज्य व कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मेहनतकश लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के हर कदम को अमल में लाने में पूरा सहयोग देती हैं। वे मजदूर-संहिता, मजदूरों की सुरक्षा के लिए कायदे—कानून, मजदूरी, छुट्टियां, पदोन्नति, कारखानों में जलपान-गृहों की व्यवस्था करने आदि में सक्रिय हिस्सा लेती हैं। वे इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि ये कानून बन जाने के बाद इन पर सही तरीके से अमल हो।

उपलब्धियां

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हर पहलू में ट्रेड यूनियनों की सक्रियता का अच्छा प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी समाप्त हो गई है, कीमतें स्थिर हैं, प्रति व्यक्ति आय चौगुनी बढ़ गई है, शिक्षा निःशुल्क है, 1950 से 1978 के दौरान 40 लाख नये मकान बनाए गए हैं, लोगों को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा ग्राम रोमानियन संस्कृति का विकास हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

रोमानिया की ट्रेड यूनियनों सभी महाद्वीपों में फैले हुए 123 देशों के साथ दोस्ती, सहयोग व एकता बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देती हैं। वे दुनिया के सभी समाजवादी तथा अन्य देशों के साथ भाईचारे व मित्रता बढ़ाने की रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टी की पहल-कदमियों का समर्थन करती हैं। वे अच्छी तरह समझती हैं कि विश्व के सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना व इन्हें लगातार मजबूत करना रोमानिया के समाजवादी पुनर्निर्माण व विश्व की शांति व प्रगति के लिए जरूरी है।

दिल्ली के कपड़ा मजदूरों की 114 दिन की हड़ताल

दिल्ली के 24000 कपड़ा मजदूरों की लम्बी चली हड़ताल अन्ततः तब वापस हुई जब डी.सी.एम ग्रुप की मिलों के मजदूरों ने 19 अक्टूबर को फिर से काम पर जाना शुरू किया। इससे पहले दिल्ली में 11 अक्टूबर को औद्योगिक जीवन एकदम ठहर गया जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मजदूरों ने दिल्ली के संघर्षरत कपड़ा मजदूरों के समर्थन में एक दिन की हड़ताल की।

बड़े उद्योगपति-परस्त रवैया

दिल्ली प्रशासन तथा केंद्रीय सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों के समर्थन का रवैया अपनाने से हड़ताल अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबी चली। केंद्रीय श्रम मंत्री श्री फजलूर रहमान ने खुले आम मालिकों का समर्थन किया तथा मजदूरों की हड़ताल जारी रखने के लिए निंदा की। सीटू के अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रवैये की आलोचना करते हुए निम्नलिखित बयान जारी किया।

“सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस केंद्रीय श्रम मंत्री श्री फजलूर रहमान द्वारा अनावश्यक बयान के लिए जबर्दस्त प्रतिवाद प्रकट करती है जिसमें उन्होंने हड़ताली कपड़ा मजदूरों तथा उनके नेताओं की दिल्ली कपड़ा मिलों की हड़ताल को जिसे अब 96वां दिन लग चुका है लंबा खींचने के लिए आलोचना की है।

यह हैरानगी की बात है कि केंद्रीय श्रम मंत्री ने हू-ब-हू वही तर्क दोहराए हैं जो मालिकों के प्रतिनिधि अभी तक देते आए हैं। इस तरह श्रम मंत्री ने एक तरफ तो कपड़ा मिलों के मजदूरों के नेताओं पर हठधर्मी का आरोप लगाया है और दूसरी तरफ बिड़ला और दिल्ली क्लायथ मिल के मालिकों जैसे इजारेदार घरानों को निर्दोष घोषित कर दिया है।

श्रम मंत्री इस बात को बड़ी आसानी से भूल गए हैं कि उनके अपने विभाग ने हाल ही में यह सलाह दी थी कि वैद्यलिंगम अर्वाड से पैदा होने वाले संबंधित विवाद को स्पष्टीकरण के लिए खुद उनके पास ही भेजा जाए तथा वह व्याख्या दोनों ही पार्टियों को स्वीकार करनी चाहिए। मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय

के इस प्रस्ताव को जहां सभी ट्रेड यूनियनों ने मान लिया था वहां मिल प्रबंधकों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया था। इसके बाद भी श्रम मंत्री ने यह निहायत गलत बयान दिया कि प्रबंधकों द्वारा मजदूरों की प्रमुख मांगें मान ली गई हैं।

जबकि वैद्यलिंगम अर्वाड की व्याख्या का सवाल ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है ऐसे मौके पर श्रम मंत्री ने उसी अर्वाड की प्रबंधकों द्वारा दी गई व्याख्या को दोहराना पसंद किया है और इस तरह विवाद की न्यायिक व्याख्या में हस्तक्षेप किया है।

श्रम मंत्री ने बड़े व्यापारिक घरानों जिनका दिल्ली के कपड़ा उद्योग पर अधिपत्य है और नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन पर मजदूरों की जायज मांगें मान लेने के लिए दबाव डालने की बजाय मजदूरों पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया है जो सिर्फ मंहगाई भत्ते की दर को बंबई, कोयम्बतूर, कानपुर तथा अन्य केंद्रों के समान करने की मांग कर रहे हैं।

सीटू सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि वे सरासर मजदूर-वर्ग विरोधी तथा मालिक परस्त बयान को नोट करें और लंबे अर्से से अटके हुए इस विवाद को सौहार्द पूर्वक सुलझाने में हानिकारक इस नीति को वापिस लेने की मांग करें।

सीटू दिल्ली के 24000 कपड़ा मजदूरों को उनके अडिग संघर्ष के लिए बधाई देती है तथा केंद्र की अंतरिम सरकार से मजदूर के हित में हस्तक्षेप करने का आग्रह करती है ताकि लंबे अर्से से चल रही हड़ताल विना किसी देरी के तय हो सके।

प्रबंधकों का हौंसला बढ़ा

मालिकों के अडिग रवैये को केंद्रीय सरकार के रवैये से काफी बल मिला है। सभी प्रबंधकों के साथ संयुक्त समझौता वार्ता भी नहीं हो सकी इसलिए समझौता वार्ता यूनियों के साथ अलग अलग की गई। समझौते भी उसी प्रकार हुए।

एन. टी. सी. समझौता

सबसे पहले हड़ताल पर समझौता नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की अयोध्या टैक्सटाइल मिल में 15 अक्टूबर को हुआ। समझौते के मुताबिक मजदूरों को वेतन वृद्धि के तौर पर हर महीने 45 रुपये दिये जाएंगे। छः रुपए सालाना वृद्धि, डी. ए. पर वैद्यलिंगम अर्वाड की व्याख्या से

संबंधित विवाद को फिर से उन्हीं के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा जाएगा। अग्रिम राशि के तौर पर 400 रुपये दिए जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का विक्टिमाइजेशन नहीं किया जाएगा।

कार्य भार : कार्यभार (वर्कलोड) वगैरह के बारे में यह तय हुआ कि इस सवाल को नेशनल प्रोडक्टिविटी की एक विशेष एक्सपर्ट कमेटी को भेजा जाएगा जिसके सुझाव मजदूरों पर बाध्य नहीं होंगे।

सीटू ने इस सवाल को एन.पी.सी. को सौंपने के संबंध में मतभेद के बावजूद मजदूरों की एकता के हित में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।

रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष की जीत

काफी लंबे तथा दृढ़ संघर्ष के बाद रिजर्व बैंक के 18,000 कर्मचारियों ने 27 सितंबर को प्रबंधकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके शानदार जीत हासिल की। समझौते से कर्मचारियों को पर्याप्त आर्थिक रितायतें हासिल हुई हैं। आर. बी. आई. कर्मचारियों के लाभ इससे भी कहीं अधिक होते अगर आल इंडिया बैंक एंजलॉईज एसोसिएशन के नेतृत्व ने प्रबंधकों के साथ प्रतिकूल समझौते पर हस्ताक्षर न किए होते।

वेतन में संशोधन

एक क्लर्क का न्यूनतम वेतन 200 सूचकांक (1960 आधार) पर 400 रुपये तय किया गया है जबकि अधिकतम रु. 1495 है। न्यूनतम पाने वाले क्लर्क को नौ साल पूरा कर लेने पर 50 रुपये का विशेष वेतन दिया जाएगा। व्यक्तिगत वेतन (पर्सनल पे), फंक्शनल वेतन, और अग्रिम वृद्धि में भी उच्चतर संशोधन किए गए हैं। स्टेगनेशन वृद्धि उन सभी कर्मचारियों को दी जाएगी जिनको अधिकतम वेतनमान पूरा किए पांच साल हो चुके होंगे।

भत्ते वगैरह

मंहगाई भत्ता : मंहगाई भत्ता सूचकांक की 4 प्वाइंट वृद्धि पर 1.5 प्रतिशत के हिसाब से इस प्रावधान पर दिया

बिड़ला मिल्स में इसके अगले दिन ऐसी ही शर्तों पर समझौता हो गया।

डी.सी.एम. समझौते पर हस्ताक्षर करने से सीटू ने क्यों इंकार किया

दिल्ली क्लायथ मिल के प्रबंधकों के साथ समझौतावार्ता के दौरान प्रबंधकों ने कार्यभार के सवाल को आखिरी रूप देने के लिए जोर दिया और अगर कार्यभार के बारे में कुछ मतभेद भी हो तो उसे आखिरी समझौते के लिए त्रिपक्षीय कमेटी के पास भेजा जाए जिसका निर्णय मानने के लिए मजदूर बाध्य होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सारा कार्यक्रम समयबद्ध होगा।

सीटू के प्रतिनिधियों ने समझौता वार्ता में डी. सी. एम. के प्रतिनिधियों के

दबाव में आने से इंकार कर दिया। किंतु संघर्ष समिति की बाकी यूनियनों ने डी. सी. एम. प्रबंधकों की इन अपमानजनक शर्तों को स्वीकार कर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।

डी. सी. एम. मजदूरों की एक आम सभा में जब समझौते के बारे में बताया जा रहा था, सीटू के प्रतिनिधि कमल नारायण ने सीटू द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने के कारणों के बारे में बताया। परंतु संघर्ष समिति के बाकी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर पर समझौता कर लेने के कारण उन्होंने मजदूरों को काम पर वापस जाने का आग्रह किया।

डी. सी. एम. ग्रुप की मिलों के मजदूर अन्य यूनियनों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर कर मजदूरों के लिए कार्यभार का सवाल अनिवार्य बना देने की गलती को धीरे-धीरे महसूस करने लगे हैं।

अधिकारी होंगे तथा जब वेतन 940 रुपये पहुंच जाएगा तब पारिवारिक भत्ता 6.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

अन्य लाभ

समझौते में इसके अलावा, आफि-शिफ्टिंग वेतन, हाल्टिंग वेतन, छुट्टी सुविधाओं, तरक्की की नीति, प्रोविडेंट फंड तथा मेच्युटी लाभों, मेडिकल सहायता, कैंटीन सहायता और एल.एफ.सी. सुविधाओं में भी सुधार हुआ है।

कर्मचारियों को दो साल की नौकरी होने पर स्थायी किया जाएगा। पेंशन के सवाल पर एक अध्ययन दल बनाया जाएगा जो अपना काम छः महीने में पूरा करेगा।

आर. बी. आई. कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र अन्य बैंकिंग उद्योगों के समान की जाएगी। जिसके न होने तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 3 महीने की सेवावृद्धि दी जाएगी। इसके बाद भी वृद्धि पर 15.9.1979 से दो महीने बाद पुनर्विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

सीटू रिजर्व बैंक कर्मचारियों को उनकी इस शानदार जीत पर बधाई देती है। आल इंडिया रिजर्व बैंक एंजलॉईज एसोसिएशन, जिसने बड़े दृढ़ निश्चय से इस संघर्ष का नेतृत्व किया और जिन कठिन परिस्थितियों में इसको नेतृत्व दिया, प्रशंसा की अधिकारी है।

सुधार

आर. बी. आई. समझौता, ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्व में हुए उद्योगबद्ध समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हुआ था। इससे पहले हुए समझौतों से इसमें काफी ज्यादा सुधार है। ए. आई. बी. ई. ए. नेतृत्व ने पहले इस बात को सैद्धांतिक तौर पर माना कि रियायत करने के लिए देने वाली राशि की आखिरी सीमा 30 करोड़ रुपये होगी तथा उनके बाद यह तय होगा कि इसमें से कितनी राशि कहां-कहां वितरित की जाएगी। भारत के आंदोलनों में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था।

ए.आई.बी.ई.ए. बेनकाब

ए.आई.बी.ई.ए. ने “पैकेज डील”

[शेष पृष्ठ बारह पर]

बालको मजदूरों की हड़ताल समाप्त

भारत अल्युमीनियम कर्मचारी व मजदूर यूनियन (सीटू), कोरबा (मध्य प्रदेश) ने अन्य यूनियनों से मिलकर 10 मार्च को बोनस तथा प्रेरक बोनस के लिए एक मांगपत्र दाखिल किया था. प्रबंधकों ने पिछली मई को इस पर बातचीत शुरू की. किन्तु यह बातचीत असफल रही.

भारत अल्युमीनियम कंपनी (बालको) में काम करने वाली 4 यूनियनों—सीटू, एटक, इंटक, बी.एम.एस—के प्रतिनिधि 21 सितंबर को प्रबंध निदेशक से भी मिले लेकिन कोई समाधान न निकल पाया. इसके बाद सभी यूनियनों के नेताओं ने बैठक की व प्रबंध निदेशक का घेराव करने का निर्णय किया. कुछ ही घंटों के भीतर 4 हजार मजदूर व शहर के अन्य लोग प्रशासकीय दफ्तर के आगे एकत्रित हुए तथा एक बड़ा प्रदर्शन किया. पुलिस का एक बड़ा दस्ता बुलवाया गया जो गोली, लाठी तथा आंसूगैस आदि के उपकरणों से लैस था. पुलिस को विशेष जगहों पर तैनात कर दिया. सत्ताधारियों की ओर से आंदोलन को कुचल डालने की धमकियां दी गईं. यूनियनों ने इसके विरोध में अगले दिन हड़ताल करने का निश्चय किया. यह हड़ताल पूरी तरह से सफल रही.

यूनियनों ने संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया. इस संघर्ष समिति का संयोजक सीटू यूनियन के पी.एस.पी. नम्बूदिरिपाद को बनाया गया. संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देश के अनुसार 24 सितंबर को प्रबंधकों को एक नोटिस दिया गया जिसमें यह कहा गया कि 7 अक्टूबर तक सभी मांगें न मान ली गईं तो 8 अक्टूबर से मजदूरों को सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा. प्रबंधकों ने इस और कोई ध्यान न दिया. फलस्वरूप 8 अक्टूबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल आरंभ हो गई.

इस बीच प्रबंधकों ने मजदूर नेताओं

के खिलाफ भूठे फौजदारी मुकदमें दायर कर दिये और सम्मन जारी करवा दिये. प्रबंधकों ने यह भी धमकी दी कि वे कंपनी में तालाबंदी घोषित कर देंगे. 12 अक्टूबर को नम्बूदिरिपाद सहित कई मजदूर नेता गिरफ्तार कर लिए गए. इन गिरफ्तारियों का कोई औचित्य न था क्योंकि मजदूर शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे. धारा 144 लगा दी गई जिसका मजदूरों ने विरोध किया. कुछ मजदूर नेताओं के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए. सारे इलाके में आतंक का वातावरण फैल गया. प्रबंधकों तथा पुलिस ने हड़ताल को तोड़ने की पूरी कोशिश की पर उन्हें मुंहकी खानों पड़ी.

बालको के मजदूरों के एकजुट व दृढ़ संघर्ष से मजबूर होकर प्रबंधकों को बातचीत कर समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा. लंबी बातचीत के बाद 19 अक्टूबर को समझौता हो गया और हड़ताल वापस ले ली गई.

रिजर्व बैंक...

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

को भी स्वीकार किया है. जिसके अनुसार यह अपमान जनक सुझाव माना गया है कि प्रबंधकों की मांगें भी साथ-साथ तय की जायंगी. ए. आई. आर. बी. ई. ए. ने इस समझ का जबरदस्त विरोध किया तथा जोर दिया कि कर्मचारियों द्वारा पेश की गई मांगों को प्राथमिकता दी जाए.

आत्मसमर्पण और प्रतिरोध

ए. आई. बी. ई. ए. ने महंगाई भत्ते पर रोक व कटौती (सीलिंग व टेपरिंग) के सिद्धांत को मंजूर किया जिसका कि भूतलिंगम पैन्ल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सारी ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया था. आर. बी. आई. समझौता वास्तव में पूरे तौर पर सीलिंग व टेपरिंग के सिद्धांत को हराता है. ये दो समझौते सरकार की बेतन नीति पर दो अलग-अलग लाइनों के नजरिये को दर्शाते हैं.

एक समझ आत्मसमर्पण की है तथा दूसरी समझ प्रतिरोध की है. आर.बी.आई. कर्मचारियों ने साफ-साफ प्रतिरोध का रास्ता दिखाया है जिसकी आखिरकार शानदार जीत हुई है.

प्रबंधकों द्वारा भरपाई की दर को भी कम करने के खेल को आर.बी.आई. समझौते ने पूरी तरह से हराया है. एक साल के बाद कर्मचारियों को भरपाई की ऊंची दर की गारंटी दी जाएगी.

सफलता

आर. बी. आई. कर्मचारियों के कामों के महत्व का अहसास उस समय अधिक होता है जब यह देखा जाए कि किस ढंग से इस विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजा गया और उनके संघर्ष को दबाने के लिए एक कठोर अध्यादेश जारी किया गया. आर. बी. आई ने इस अध्यादेश की उपेक्षा की, दमन का एक साथ मिलकर मुकाबला किया और अंत में अध्यादेश को वापस करवाने तथा प्रबंधकों को कोर्ट से बाहर समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए मजबूर करने में सफल हो सके.

यह समझौता आर. बी. आई कर्मचारियों में एकता और संघर्ष के रास्ते पर चलने के प्रति विश्वास पैदा करेगा. सीटू यह आशा रखती है कि अन्य बैंक कर्मचारी भी आर.बी.आई के संघर्ष से सबक लेंगे और बैंक कर्मचारियों का संयुक्त आंदोलन जुझारू नीति पर बन सके इसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे. सीटू यह भी आशा रखती है कि ए.आई.बी.ई.ए का नेतृत्व अपने समझौतों की कमजोरियों को महसूस करेगा और बैंक कर्मचारी आंदोलन को पुनः निर्देशित करने की प्रक्रिया में मदद करेगा.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र एक प्रति की दर पचास पैसे
वार्षिक चंदा छः रुपये
मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

बोनस तथा अन्य मुद्दों पर जूट मजदूरों का संघर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार सभी मालिकों को अपने कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देना जरूरी है. इस निर्देश के पीछे यह सिद्धांत है कि बोनस विलंबित यानि टाली हुई मजदूरी है. जिस प्रकार मजदूरों को उनके काम के बदले मजदूरी देना जरूरी है उसी प्रकार बोनस की अदायगी भी जरूरी है चाहे कंपनी मुनाफा कमाती है या नहीं.

जूट मिल मालिकों ने केंद्र के इस फैसले पर कोई ध्यान न दिया. उनका कहना था कि क्योंकि केंद्र ने इस बारे में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है इसलिए बोनस की अदायगी जरूरी नहीं है.

हक : जूट मिल मजदूरों ने मालिकों के इस रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. व्यापक मीटिंगें करके तथा व्यवस्थापकों के पास अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर उन्होंने बोनस मिलने के अपने हक को दोहराया. यह ढाई लाख जूट मजदूरों के लिए एक चेतावनी थी कि खुद मजदूरों को बोनस के सवाल पर संघर्ष करना होगा तथा कानून व समझौतों द्वारा माने गये न्यूनतम बोनस के अपने जायज हक को लेना होगा.

बोनस कानूनी : 10 अगस्त 1979 को हुई राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड की मीटिंग में राज्य के श्रम-मंत्री कृष्णपद घोष ने मिल मालिकों से कहा कि वे मजदूरों को कानूनी रूप से स्वीकृत न्यूनतम बोनस दें उन्होंने कहा कि जिन मिलों को मुनाफा नहीं भी होता उन्हें भी 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस फौरन दे देना चाहिये तथा जिन मिलों को मुनाफा होता है उन्हें इससे अधिक दर से बोनस देना चाहिये. बोनस की यह अधिकतम सीमा मिल को हुए मुनाफे के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए. मीटिंग में यह भी कहा गया कि मजदूरों को आने वाले त्योहार के दिनों में बोनस के पैसे की बहुत अधिक जरूरत होती है. क्योंकि ईद-उल-फितर तथा दुर्गा पूजा के त्योहार आने ही वाले हैं, इसलिए बोनस के पैसे की अदायगी एकदम होनी चाहिए.

सांकेतिक हड़ताल

इस मीटिंग में बोनस के मामले पर दिये गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी

बोनस को जल्दी न दिया गया. इस बीच ईद का त्योहार गुजर गया. मजदूरों में उत्तेजना बढ़ती गई. आखिरकार जूट सरमायदारों को न्यूनतम बोनस देने पर मजबूर होना पड़ा. किंतु इससे मजदूरों का आंदोलन शांत न हुआ. श्रम मंत्री ने मिल मालिकों को कहा था कि जिन मिलों में मुनाफा होता है उन्हें न्यूनतम स्तर से ज्यादा बोनस देना चाहिए. मिल मालिकों ने श्रम मंत्री की इस बात पर कोई ध्यान न दिया. मजदूरों ने मालिकों के इस अड़ियल व्यवहार के विरोध में तथा 20 प्रतिशत बोनस की मांग पर 21 सितंबर को सभी मिलों में सांकेतिक हड़ताल रखी. सभी मिलों में तीनों पालियों में एक घंटे काम बंद रहा.

कोई वजह नहीं : यह सभी जानते हैं कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सिंथेटिक चीजों के उत्पादन के दाम इतने अधिक बढ़ गये हैं कि बाजार में जूट-उत्पादित वस्तुओं की मांग काफी बढ़ गई है. किन्तु इन नये हालातों से विश्व मंडी में जूट उत्पादित वस्तुओं का बाजार गर्म रहा है. नतीजे के तौर पर जूट मिलें आशा से अधिक मुनाफा कमा रही हैं. इस कारण कुछ मिलों को छोड़कर बाकी मिल मालिकों के पास कोई वजह नहीं कि वे क्यों मजदूरों की अधिक बोनस की जायज मांग को पूरा न करें.

एकजुट आंदोलन : मिल मालिक मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए विभिन्न मिलों में विभिन्न रवैया अख्तियार कर रहे हैं. कुछ मिलों में वे आंशिक रूप से मजदूरों की कुछ मांगों को मानकर उन मिलों के मजदूरों को व्यापक आंदोलन से काटने की कोशिश कर रहे हैं. यदि जूट मिल मालिक सभी मिलों को एक इकाई मानकर मजदूरों की मागों

को नहीं मानते हैं तो मजदूरों को एकजुट होकर अपने संघर्ष को दुबारा शुरू करना व इसे तेज करना पड़ेगा.

ग्रहम मुद्दे

18 सितंबर 1979 को इंडियन जूट मिल एसोसियेशन को लिखे एक पत्र में बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के महा-सचिव कमल सरकार ने इस बात को दोहराया है कि अगर मजदूरों की जायज मांगों को नहीं माना जाता तो मजदूर सारे जूट उद्योग में आंदोलन चलायेंगे. इस पत्र में इंडियन जूट मिल एसोसियेशन का ध्यान इस ओर दिलाया है कि हालांकि 22 फरवरी 1979 को हुए त्रिपक्षीय समझौते को छः महीने से अधिक समय हो गया है फिर भी इस समझौते में सुलझाए गए मुद्दों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है. ये मुद्दे जूट मजदूरों की 50-दिन लंबी हड़ताल से उठे थे. इन मुद्दों में अस्थायी मजदूरों को स्थायी बनाना, बदली मजदूरों को 'विशेष बदली' मजदूरों का स्तर देना, ठेका मजदूरी तथा 'भागवाला' प्रथा को समाप्त करना, नौकरी से निकाले गए मजदूरों को वापस लेना आदि जरूरी सवाल हैं. इसके अलावा सभी श्रेणी के मजदूरों को रिहाइशी भत्ता नहीं दिया जाता तथा ग्रेच्युटी को गलत व घोखाघड़ीपूर्ण तरीके से तय किया जाता है. इन सब गलत तरीकों को ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि त्रिपक्षीय समझौते को तत्काल व सही तरीके से लागू किया जाय.

तीसरा चरण : बंगाल चटकल मजदूर यूनियन की कार्यकारी काउंसिल की बैठक तीरेन घोष की अध्यक्षता में 28 सितंबर को हुई. इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि जूट मजदूरों की जायज मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन का 'तीसरा चरण' आरंभ किया जाय. (आंदोलन के इस आयाम को 'तीसरा चरण' का नाम कामरेड कमल सरकार ने दिया.) इस चरण की शुरुआत 10 अक्टूबर 1979 को मिल व्यवस्थापकों के पास अपने जन प्रतिनिधिमंडल भेजकर तथा मिल गेटों पर दैनिक मीटिंगें करके हुई.

आने वाले कुछ हफ्तों में यह जाहिर होगा कि आंदोलन क्या स्वरूप अख्तियार करता है. आंदोलन का स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि जिद्दी जूट सरमायदार मजदूरों के इन ग्रहम् मुद्दों पर क्या रवैया अपनाते हैं.

कानपुर में कामगार महिलाओं का सम्मेलन

अखिल भारतीय कामगार महिला समिति कानपुर के तत्वाधान में कानपुर में कामगार महिलाओं का जिला सम्मेलन 2 अक्टूबर को कानपुर में सम्पन्न हुआ. इस सम्मेलन में 250 महिलाओं ने भाग लिया. सम्मेलन की कार्यवाही एक अध्यक्ष मण्डल, डा. लक्ष्मी सहगल, मानवती आर्या, रूपकुमारी खेतान, कमला, और दुर्गेश सरीन द्वारा चलाई गई.

अखिल भारतीय कामगार महिला समिति की सचिव विमला रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कामगार महिलाओं का आह्वान किया कि वे विषमताओं और शोषण की व्यवस्था के खिलाफ तेज संघर्ष चलायें. उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी आंदोलन कमजोर होने के बावजूद कामगार महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और उन्हें पाने के लिए संगठन बनाकर संघर्ष करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही हैं. कामगार महिलाओं के इस सम्मेलन को सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के महासचिव दौलतराम, मकबूल अहमद खां (एच. एम. एस.)हरवंस सिंह (एटक), रवि सिन्हा (सीटू), और सीटू सेंटर से प्रमिला पंधे और अन्य नेताओं ने संबोधित किया. रूपकुमारी खेतान ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया. जिस पर हुई बहस में कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वह सर्वसम्मति से पारित हुआ. प्रस्ताव में समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रसव अवकाश, बच्चों के पालन पोषण तथा उनकी पढ़ाई की सुविधा आदि मांगों को लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया.

देवसेना ने समापन भाषण करते हुए कामगार महिलाओं को रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने के साथ-साथ शोषण की दोहरी व्यवस्था के खिलाफ भी निर्मम संघर्ष करने का आह्वान किया.

कानपुर जिले के लिए कामगार महिला समिति की 31 सदस्यों की कार्यकारिणी गठित की गई जिसकी अध्यक्ष

प्रधानमंत्री के बयान का सीटू द्वारा विरोध

सी. आई. टी. यू. के सचिव एम. के. पंधे ने निम्नलिखित बयान 23 अक्टूबर को जारी किया.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा गुंडूर की एक चुनाव सभा में देश की दुर्दशा के लिए संगठित मजदूर वर्ग को दोषी ठहरानेवाले वक्तव्य पर रोष प्रकट करता है.

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संगठित मजदूर वर्ग द्वारा हड़ताल का सहारा अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिए सरकार को ब्लैक मेल करने के लिए किया जाता है.

सीटू उम्मीद करती है कि इस तरह के वक्तव्य देने से पूर्व प्रधानमंत्री को कम से कम अपने योजना आयोग से तो सलाह मशविरा कर लेना चाहिए. उल्लेखनीय है कि योजना आयोग का अध्ययन बताता है कि संगठित मजदूर वर्ग की मजदूरी पिछले 10 साल से भी ज्यादा अर्से से या तो स्थिर रही है, या कम हुई है.

प्रधानमंत्री के ग्रामोन्मुख विचारों के बावजूद खेतमजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है. वे गरीबी की रेखा से भी नीचे जिंदा रहने के लिए विवश हैं. उन्हें सारे साल काम भी नहीं मिलता. संगठित मजदूर वर्ग हमेशा से खेतमजदूरों तथा असंगठित मजदूरों को उचित वेतन दिये जाने का समर्थन करता रहा है. प्रधानमंत्री का रवैया सिर्फ यही दिखायी देता है कि भूतलिगम पेनल के तर्कों की आड़ में असंगठित मजदूरों पर रहम का नाटक किया जाय और इस नाटक की आड़ में संगठित मजदूर वर्ग को लांछित किया जाय.

सीटू का विश्वास है कि देश की तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संगठित मजदूर वर्ग, किसी भी हालत में वेतन जाम को स्वीकार नहीं करेंगे—वह चाहे किसी भी रूप में थोपा जाय. उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने संगठित मजदूर वर्ग के सामने अपने जीवन स्तर को समुचित रूप से बचाये रखने के लिए संघर्ष के रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है.

सीटू प्रधानमंत्री से अपील करती है कि वे अपनी ऐसी घोर मजदूर-विरोधी नीतियों के परिणामों पर विचार करें और जितनी जल्दी हो सके इनमें सुधार करें, ताकि संगठित मजदूर वर्ग को ऐसी नीतियों में बदलाव के लिए सीधे संघर्ष के लिए विवश न होना पड़े. □

डा. लक्ष्मी सहगल, उपाध्यक्ष मानवती आर्य और निर्मला प्रधान, सचिव देवसेना, संयुक्त-सचिव श्रीमति रूपकुमारी खेतान, दुर्गेश सरीन एवं कोषाध्यक्ष विदुषी श्री-वास्तव चुनी गयी हैं. इस समिति ने 3 सदस्यों की एडहाक कमेटी बनाकर डा० लक्ष्मी सहगल, श्रीमति रूपकुमारी खेतान देवसेना को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि सूबे के दूसरे हिस्सों में

सम्पर्क स्थापित करके राज्य कमेटी का गठन दो माह के अन्दर करें.

स्थानीय स्तर पर संयुक्त ट्रेड यूनियन कनवेंशन और प्रदर्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला कामगार महिला समिति ने किया है. यह सम्मेलन महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कटौती के विरोध में और श्रमिक वर्ग की मांगों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश

संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन

उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का एक बृहत् संयुक्त सम्मेलन ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा व मालिकों तथा सरकार के हमलों के विरुद्ध 23 सितंबर को लखनऊ में सम्पन्न हुआ। संयुक्त सम्मेलन का आह्वान विभिन्न राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों, सीटू, एच. एम. एस., एटक, इंटक और उटक ने मिलकर किया था। संयुक्त सम्मेलन में सूती, जूट, खाद, इंजीनियरिंग, लोहा, शक्कर, बिजली, सीमेंट, दवा उद्योग, बैंक, बीमा, रोडवेज, सुरक्षा, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सरकारी एवं केंद्रीय कर्मचारी और शिक्षकों के लगभग 900 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से प्रतिनिधि शामिल हुए।

मांगें: सम्मेलन में पूरे प्रदेश के स्तर पर बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने, मंहगाई की पूरी भरपाई देने, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के फर्जी आंकड़े समाप्त करने, रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने, विद्युत कटौती, छटनी, ले आफ व तालाबंदी की समाप्ती, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की सुरक्षा, एक उद्योग एक यूनियन का कानून बनाया जाने व यूनियन की मान्यता गुप्त मतदान द्वारा कराई जाने, न्यूनतम वेतन, आवास सुविधा व ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने आदि की मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष चलाने का फैसला किया गया। सम्मेलन में सरकार को चेतावनी देने और प्रान्त व्यापी संयुक्त संघर्ष चलाने का जोर दार एलान करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के समक्ष 15 नवंबर को लखनऊ में मजदूरों, कर्मचारियों और मेहनतकशों का एक जोरदार संयुक्त प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

सम्मेलन ने सरकार से सूखा पीड़ितों को बाढ़ पीड़ितों के समान सुविधायें प्रदान करने की मांग को पूरे प्रदेश में बिजली संकट के कारण मिलों की बंदी,

ले आफ एवं छटनी से उत्पन्न बेरोजगारी पर चिन्ता व्यक्त की गई और बिजली संकट के प्रभाव के कारण श्रमिकों के वेतन में आने वाली कमी को शत-प्रतिशत पूरा करने की मांग की गई। सम्मेलन के अंत में लखनऊ के नवयुवकों की नाट्य संस्था "कलम" द्वारा मशीन नाटक का सफल प्रदर्शन किया गया जिसमें अपने देश में 32 वर्षों से चल रही पूंजीवादी मशीन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस सम्मेलन में सीटू के सबसे अधिक प्रतिनिधियों 350 कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने हिस्सा लिया।

इसी तरह के स्थानीय स्तर के सम्मेलन 7 अक्टूबर को कानपुर में और 14 अक्टूबर को धामपुर में आयोजित किए गए। और अन्य कई स्थानों पर भी ऐसे ही सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।

कानपुर फटिलाइजर फैक्ट्री में एक दिन की हड़ताल

इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड कानपुर के फटिलाइजर कारखाने में आई. ई.एल. एम्प्लॉईज यूनियन (सीटू) के आह्वान पर प्रबंधकों की भेदभावपूर्ण और मनमाने ढंग से प्रमोशन देने की नीति के खिलाफ तथा सीनियोरिटी और शिक्षा योग्यता के मुताबिक बगैर भेद भाव के प्रमोशन देने की नीति को लागू करवाने के लिए 3 सितंबर को कारखाने के सारे कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की। कारखाने के 1200 स्थायी कर्मचारियों के अलावा कैंटीन कर्मचारी, कैजुअल श्रमिक, ठेकेदार श्रमिक और यहाँ तक कि निर्माणाधीन फटिलाइजर यर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट के 1500 कंस्ट्रक्शन श्रमिक भी हड़ताल पर रहे। श्रमिकों ने अपनी इस हड़ताल द्वारा प्रबंधकों और श्रम विभाग की प्रमोशन के विवाद को एडजुडिकेशन में भेजने की पेशकश को ठुकरा कर सीधी वार्ता द्वारा विवाद को हल करने की मांग की है।

जे. के. को.आ. सोसाइटी चुनाव में सीटू की जीत

जे.के. एम्प्लॉईज कोम्पारेटिव सोसाइटी के चुनाव में जे.के. जूट मिल की 24 सीटों पर अकेले जे.के. जूट मिल्स मजदूर पंचायत (सीटू) के उम्मीदवारों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। एटक, एच. एम.पी. और अटक तथा इंटक को एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। बी.एम.एस. को केवल तीन और एच.एम.एस. को 6 स्थान प्राप्त हुए। अभी तक सोसाइटी पर एच.एम.एस. और बी.एम.एस. का संयुक्त रूप से कब्जा था। इस चुनाव में पंचायत की जीत ने यह साबित कर दिया कि सीटू को नेस्तनाबूद करने का दलालों और मालिकों का नापाक इरादा कभी भी पूरा नहीं हो सकता है।

चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वक्ताओं ने जे. के. जूट मिल प्रबंधकों से इस बात की मांग की है कि श्रमिकों की समस्त समस्याओं के संबंध में जे. के. जूट मिल मजदूर पंचायत में वार्ता कर उसका हल निकालें। वक्ताओं ने बिजली संकट से उत्पन्न समस्या, परमानेन्सी, आपातकाल में निकाले गए श्रमिकों की काम पर बहाली को लेकर आंदोलन चलाने का आह्वान किया।

सम्मेलन ने फरवरी 1980 में अखिल भारतीय जूट कानफ्रेंस कानपुर में जोश और उत्साह के साथ करने का फैसला लिया। सम्मेलन ने 23 सितम्बर को लखनऊ में हुए संयुक्त सम्मेलन के फैसलों को लागू करने का निर्णय लिया।

माइको मजदूरों का आंदोलन जारी

धामपुर: 15 अक्टूबर: माइको फैक्ट्री के मजदूर मलिकान द्वारा 4 अगस्त से गैर-कानूनी तालाबंदी के विरोध में लगातार घरना कार्यक्रम चलाते रहे। माइको लेकर यूनियन ने मालिकान द्वारा समझौता न किए जाने पर 3 सितंबर से ग्राम हड़ताल की घोषणा कर दी। स्थानीय अधिकारियों

[शेष पृष्ठ अठारह पर]

बोनस के मुद्दे पर मजदूरों का संघर्ष और भारी जीते

वैमपंथी सरकार की मजदूर-समर्थक नीति, बोनस अध्यादेश व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कारण बोनस के मुद्दे पर सभी कारखानों व संस्थानों के मजदूरों के संघर्ष को इस वर्ष नया बल मिला. जूट, कपड़ा, इंजीनियरिंग उद्योग, चाय बागान, टुकानों तथा संस्थानों के मजदूरों ने बोनस की अधिक मांग के सवाल पर एकजुट संघर्ष किया.

सीटू यूनियनों कहीं अन्य यूनियनों के साथ मिलकर तथा कहीं अकेले ही लड़े जा रहे विभिन्न संघर्षों में सबसे आगे रहें. कई फैक्ट्रियों व संस्थानों में बोनस की मांग को बातचीत कर सुलझा लिया गया. किन्तु कई और जगहों पर बोनस की मांग को मनवाने के लिए लंबा संघर्ष किया गया. जूट, इंजीनियरिंग व कपड़ा उद्योगों को छोड़कर—जिनपर एकाधिकारी घरानों का प्रभुत्व है—अन्य अधिकतर कारखानों में मजदूर संघर्ष करके पिछले वर्ष से अधिक बोनस पाने में सफल हुए हैं. इनमें से कई ऐसे कारखाने भी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष बोनस नहीं दिया था किन्तु इस वर्ष दे दिया है.

बिरला के स्वामित्व वाली केशोराम काटन मिलज में मजदूरों को बोनस के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा. इसमें एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी हुई थी जिसका सीटू, एटक तथा इंटक की यूनियनों ने समर्थन किया. आखिरकार मालिकों को 13 प्रति शत बोनस देना पड़ा. इसी प्रकार अन्नपूर्ण काटन मिलज के मजदूरों को 20 प्रति शत बोनस के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा जिसका नेतृत्व सीटू ने किया. मजदूरों की एक-जुटता व दृढ़ संकल्प के आगे प्रबंधकों को 14.33 प्रति शत बोनस देने की मांग स्वीकार करनी पड़ी.

पोद्दार प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के मजदूरों ने प्रबंधकों को पिछले साल के 12 प्रति शत बोनस के बजाय इस साल 13.25 प्रतिशत बोनस देने पर मजबूर कर दिया. सीटू के नेतृत्व वाली इंडिया

कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज (हावड़ा) के मजदूरों ने लंबा संघर्ष किया. इस संघर्ष का सफल परिणाम 20 प्रति शत बोनस तथा साढ़े नौ दिन के वेतन के बराबर एक्स ग्रेशिया राशि मिलने में हुआ.

कलकत्ता में तथा इसके आसपास इंजीनियरिंग तथा अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी बोनस संघर्ष में बड़ी जीते हासिल की. बेहाला इलाके में ऐक्सप्रेस डेरी (बिरला संचालित), भास्कर इंजीनियरिंग, ई.आई.सी., इंडिया हार्ड मेटलज, सी.के.सेन एंड कम्पनी, फैंरो कोर्टिंग्स, विनार सिस्टम आदि के मजदूरों ने 20 प्रति शत बोनस हासिल किया. इनमें से कई जगह यह बोनस पिछले वर्ष से अधिक रहा. कुछ और फैक्ट्रियों में भी बोनस 8.33 प्रति शत से लेकर 18.5 प्रति शत तक मिला और यह पिछले वर्ष से अधिक था. बेलियाघाट इलाके की 22 फैक्ट्रियों में सीटू यूनियनों के नेतृत्व में मजदूरों ने एक होकर संघर्ष किया. रबर वर्कर्स एसोसियेशन (सीटू) के नेतृत्व में इस इलाके की 5 रबर फैक्ट्रियों के मजदूरों ने 18 प्रति शत अथवा 60 दिन की दैनिक मजदूरी के बराबर बोनस अर्जित किया. चमड़ा उद्योग सहित अन्य कई उद्योगों के मजदूरों को भी पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक बोनस मिला. हावड़ा के बेलगा-चिया इलाके में कई लघु इंजीनियरिंग कारखानों के मजदूरों ने भी सीटू के नेतृत्व में बोनस के सवाल पर लंबा संघर्ष किया और ज्यादातर स्थानों पर पिछले वर्ष से ज्यादा बोनस ले पाए.

जलपाइगुड़ी के 6 चाय बागानों के

मजदूर लंबे संघर्ष के बाद 20 प्रति शत बोनस लेने में सफल हुए. जबकि 6 अन्य चाय बागानों के मजदूरों को 17 से 19 प्रति शत तक बोनस मिला. कलकत्ता तथा आसपास चलने वाली 788 निजी बसों के 4,200 मजदूरों ने बस वर्कर्स यूनियन की अगुवाई में एकजुट संघर्ष किया. कुछ रूटों को छोड़कर अधिकतर रूटों पर चलने वाली बसों के मालिकों को बातचीत के बाद बोनस देने पर मजबूर होना पड़ा.

गौरीपुर कारखाने में तालाबंदी समाप्त

आई. आर. सी. आई. द्वारा संचालित गौरीपुर कंटेनर एंड क्लोजर्स लिमिटेड के प्रबंधकों ने 15 अक्टूबर से फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी. इस फैक्ट्री में लगभग 800 मजदूर व कर्मचारी काम करते हैं. आई. आर. सी. आई. द्वारा नियुक्त निर्देशकों द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार व अव्यवस्था के कारण फैक्ट्री कुछ समय से कोई मुनाफा नहीं दे रही थी. फैक्ट्री के अन्दर प्रिंटिंग विभाग तथा कुछ अन्य विभागों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदों के हो जाने का प्रबंधकों ने तत्काल फायदा उठाया और अपनी अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए तालाबंदी घोषित कर दी. फैक्ट्री के अन्दर मजदूरों के विभिन्न वर्गों में मतभेद पैदा करने के पीछे भी प्रबंधकों की मजदूर आन्दोलन को कमजोर करने की ही साजिश है. सीटू तथा अन्य यूनियनों ने मांग की है कि तालाबंदी को तत्काल उठा लिया जाए.

सहकारी बैंक कर्मचारियों द्वारा आम प्रदर्शन व धरना

आल इंडिया कोआपरेटिव बैंक एम्प-लाईज फेडरेशन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के सहकारी बैंकों में काम करने वाले सभी ग्रेड के कर्मचारियों ने 11 अक्टूबर से कलकत्ता के सिडीकेट बैंक के मुख्य कार्यालय के सामने 48 घंटे का धरना दिया. 13 अक्टूबर को धरने की समाप्ति पर एक आम प्रदर्शन का

वामपंथी ताकतों को मजबूत बनाओ

आयोजन किया गया जिसमें फेडरेशन के नेताओं ने भाषण दिया. इसके बाद एक शिष्टमंडल राज्य श्रम मंत्री से मिला व अपनी मांगों का एक मांगपत्र उन्हें दिया. कर्मचारियों के इस 10-सूत्री मांगपत्र में वेतनमानों को संशोधित करने के लिए एक ट्रिब्युनल की स्थापना, छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली, बैंक कर्मचारियों को बैंक के प्रबंध में प्रतिनिधित्व दिलाना आदि मांगे शामिल थीं.

सीटू की मांग— ठेका मजदूरों का अमानवीय शोषण बंद करो

ठेकेदारों के पास काम करने वाले, विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्रों में भवन निर्माण उद्योग में लगे हुए अनियत मजदूरों को संगठित करने के लिए सीटू पश्चिम बंगाल कमेटी ने एक समन्वय समिति का गठन किया है. अनियत मजदूरों में संगठन के अभाव का फायदा उठाते हुए ठेकेदार उनका बुरी तरह शोषण करते हैं. उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही उनकी न्यूनतम मजदूरी, बोनस, मकान व चिकित्सा सुविधा, छुट्टियां आदि के लिए कोई वैधानिक गारंटी है. 19 सितम्बर को समन्वय समिति राज्य के मुख्यमंत्री से मिली और उन्हें अनियत मजदूरों की दुर्दशा से अवगत कराया. उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार अनियत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, रोजगार सुरक्षा तथा और सुविधाएं दिलवाने के लिए कानून बनाए.

ए. वी. बी. मजदूरों को जीत

ए. वी. बी. फ़ैक्ट्री (दुर्गापुर) के मजदूरों ने 87 दिनों तक चली अपनी हड़ताल के बाद अंत में विजय पाई. उनकी मांगों में इंजीनियरिंग समझौते को लागू करना, 1979 में छटनी किए गए मजदूरों को बहाल करना, मकान की सुविधाएं, बोनस आदि की मांगें शामिल थीं. 19 सितंबर को श्रम आयुक्त के कमरे में

हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्कमैज यूनियन (सीटू) का दूसरा वार्षिक सम्मेलन बुधराम नगर (भिलाई) में 21 सितंबर को हुआ. सम्मेलन का समापन एक विशाल जनसभा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हुआ. सभा-स्थल का नाम कामरेड बुधराम के नाम पर रखा गया था जो सितंबर 1978 में एच. एस. सी. एल. के हजारों मजदूरों के एक प्रदर्शन में शहीद हुए थे.

यूनियन के अध्यक्ष व सीटू के सचिव एम. के. पंधे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एच. एस. सी. एल. के लगातार खराब होते हालातों के लिए अफसरशाही को दोषी ठहराया व उसकी आलोचना की. देश के लगातार गहराते आर्थिक व राजनैतिक संकट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों की सरकार की स्थापना होने पर ही इन समस्याओं को अन्तिम रूप से सुलझाया जा सकता है. उन्होंने मांगों को मनवाने के लिए मजदूरों के संघर्ष की एकजुटता पर जोर दिया.

कामरेड पंधे ने 14 सितंबर को हुई सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की सफल हड़ताल पर मजदूरों को मुबारकवाद दी. इस सफलता के पीछे मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की भूमिका की भी उन्होंने तारीफ की. भाषण का समापन करते हुए उन्होंने मजदूरों को आह्वान किया कि वे आने वाले लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए वामपंथी ताकतों को मजबूत बनायें

जिससे कि ये ताकतें अधिनायकवादी व सांप्रदायवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश को एक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक व समाजवादी विकल्प प्रदान करें.

यूनियन के महासचिव एस. एस. भट्टाचार्य ने यूनियन की वार्षिक रिपोर्ट पेश की. मांगों का एक 10-सूत्री चार्टर पास किया गया. सम्मेलन ने यह फैसला किया कि यदि प्रबंधक मजदूरों की मांगों को स्वीकार नहीं करते तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाये.

सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये. इन प्रस्तावों में छत्तीसगढ़ इलाके में सूखे से राहत दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बदले की भावना से प्रेरित होकर काम करने की आलोचना, पुलिस, सी. आर. पी. तथा सी. आई. एस. एफ. के संगठनों को मान्यता देना तथा नंदलाल के खिलाफ निष्कासन आदेश वापिस लेना प्रमुख हैं.

सम्मेलन में एक कार्यकारी कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष एम. के. पंधे तथा महासचिव एस. एस. भट्टाचार्य चुने गए. सम्मेलन में एच. एस. सी. एल. की विभिन्न इकाइयों के 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनके अलावा बिलासपुर रेलवे, हिंदुस्तान स्टील, गणतांत्रिक महिला फेडरेशन आदि के कई बिरादराना प्रतिनिधि भी सम्मेलन में उपस्थित थे व इसकी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे. 22 सितंबर को हुए खुले अधिवेशन में अन्य लोगों के अलावा एम. के. पंधे, एस. एस. भट्टाचार्य व पी. के. मोहना ने भाषण दिया.

त्रिपक्षीय बातचीत द्वारा समझौता हुआ. समझौते में 1970 में छटनी किए गए 36 मजदूरों में से 14 को बहाल करना तथा बाकी मजदूरों को जायज मुआवजा देना शामिल था प्रबंधकों ने इंजीनियरिंग समझौते को लागू करना, 18 से 20 प्रतिशत तक बोनस देना तथा मकान, चिकित्सा व एल. टी. ए. की सुविधाएं देना भी स्वीकार कर लिया था. समझौते के अनुरूप हड़ताल वापिस ले ली गई व मजदूरों को कहा गया कि वे 15 दिनों के भीतर ड्यूटी पर आ जाएं.

[पृष्ठ पंद्रह से आगे]

को समझौता कराने की कोशिशों के बावजूद मालिकान के जिद्दी रवैये के कारण अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है. मजदूरों के आंदोलन को तोड़ने के लिए मालिकान की पुलिस व समाज विरोधी तत्वों से सांठगांठ के बावजूद मजदूर शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं. यूनियन के सचिव ने सरकार से मांग की की है कि वह तुरंत हस्तक्षेप कर मालिकान पर दबाव डालकर मजदूरों की न्यायिक मांगें पूरी कराएं.

हरियाणा

ट्रेड-यूनियन नेता की गैरकानूनी बर्खास्तगी

हिसार 15 अक्टूबर : हरियाणा कन-कास्ट लिमिटेड, एक राज्य सरकारी उद्योग, के मालिकान ने यूनियन की कार्यकारिणी के एक सदस्य को भूठे व बेतुके आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया. मालिकों के इस कदम ने यूनियन के विक्टिमाइजेशन के प्रश्न को शांति-पूर्वक हल करने की आशा को खत्म कर दिया.

इससे पहले मालिकों ने हरियाणा के श्रम-आयुक्त के समक्ष ट्रेड-यूनियन नेताओं का भूठे आरोपों पर विक्टिमाइजेशन न करने का आश्वासन दिया था. यूनियन को इस बात का डर है कि दूसरों को भी किसी न किसी बहाने से नौकरी से निकाला जा सकता है. यूनियन ने इस मसले पर स्थानीय व राज्य अधिकारियों को हस्तक्षेप करने व मजदूरों के हित में आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है.

त्रिपुरा

चाय-मजदूर सम्मेलन

त्रिपुरा टी वकंज यूनियन (सीटू) का चौथा वार्षिक सम्मेलन विनोदिनी टी एस्टेट (अग्रतला) में 15 और 16 सितम्बर को हुआ. इस सम्मेलन का उद्घाटन त्रिपुरा श्रममंत्री बीरेन दत्ता

ने किया. लोक निर्माण विभाग के मंत्री बैद्यनाथ मजूमदार व हरेंद्र गोला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती सम्मेलन के प्रमुख अतिथि थे. शिक्षा मंत्री दशरथ देव ने भी सम्मेलन में भाग लिया.

यूनियन के 3880 सदस्यों की ओर से 165 मजदूर प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया. सम्मेलन ने पिछली कांग्रेस व जनता सरकारों की तीखी आलोचना की तथा चाय मजदूरों को कहा कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष को तेज करें. सम्मेलन ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वे प्रजातंत्र की रक्षा तथा अधिनायकवाद व संप्रदायवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग की एकता मजबूत करें.

सम्मेलन में एक कार्यकारी कमेटी का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष बीरेन दत्ता व महासचिव शक्ति प्रसन्न भट्टाचार्य होंगे.

भेल में लगातार हड़ताल

[पृष्ठ नौ से आगे]

व्यवहार में नहीं आया. यह इस बात से जाहिर है कि दो साल तक घेर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद मजदूरों के आगे जो प्रस्ताव रखा गया वह कोयला व इस्पात उद्योगों के मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी से भी कम था. इस सब को देखते हुए मजदूरों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि मजदूरों के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है. यह हड़ताल 'भेल' की सभी इकाइयों में 6 नवम्बर को सुबह की पाली से शुरू होगी.

प्रत्येक इकाई ने 13 अक्टूबर या इससे पहले हड़ताल का नोटिस दे दिया है जिससे कि हड़ताल 6 नवम्बर को शुरू हो सके. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थापकों से यह कह दिया है कि यदि व्यवस्थापक कोई सही प्रस्ताव लेकर सामने आते हैं तो मजदूर हड़ताल के नोटिस की अवधि में भी अपनी मांगों पर बातचीत करने को तैयार हैं.

संयुक्त बातचीत कमेटी ने सुरक्षा, जल वितरण, आग बुझाने, विजली तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस हड़ताल में भाग न लेने की छूट दे दी है.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	जून	जुला.	अग.
बिहार			
जमशेदपुर	336	341	347
भारिया	324	332	340
कोडर्मा	352	358	372
मोंघाडर	363	381	384
नोआमुंडी	333	342	372
गुजरात			
अहमदाबाद	335	341	378
भाव नगर	352	363	375
हरियाणा			
यमुना नगर	365	379	378
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	347	349	361
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	367	378	378
भोपाल	345	351	362
ग्वालियर	354	366	372
इंदौर	365	370	378
महाराष्ट्र			
बंबई	344	351	361
नागपुर	339	346	350
बोलापुर	356	363	373
पंजाब			
अमृतसर	355	366	373
राजस्थान			
अजमेर	344	356	385
जयपुर	363	371	375
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	344	351	361
सहारनपुर	343	352	359
वाराणसी	392	401	404
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	357	361	368
कलकत्ता	346	349	354
दार्जीलिंग	286	289	295
हावड़ा	332	331	339
जलपाइगुरी	293	301	307
रानीगंज	339	351	359
दिल्ली	378	388	390
भारत	345	353	360

(लेबर ब्यूरो, शिमला) *

फरीदाबाद हत्याकांड...

[पृष्ठ तीन से आगे]

प्रेस का कर्मचारी श्री बाली गोली का शिकार हुआ. उसका 12 बरस का लड़का अनिल गोली से घायल हुआ. बराबर के मकान की छत पर खड़े विटोनी लेंप फैंक्ट्री में सीटू यूनिशन के अध्यक्ष जगदीश की गोली लगने से घटनास्थल पर मृत्यु

हो गई. औरतों व बच्चों को भी बुरी तरह मारा गया. 23 सेक्टर के लान में एक सरदार की लोहे को छड़ों से मार-मार कर हत्या कर दी. गुंडों और पुलिस ने आतंक मचा दिया. गोलीकांड के कई घंटों बाद पंजाब होटल के पास वह जीप लाकर खड़ी कर दी गई जिसे ईस्ट इंडिया के सामने जलाया गया था.

जाहिर है गोली चलाने का कारण गढ़ना था. ये तथ्य प्रबंधकों, पुलिस, गुंडों और हरियाणा सरकार की मिलीभगत और साजिश का पर्दाफाश करते हैं.

फरीदाबाद में इस हत्याकांड की सूचना मिलते ही सीटू की सचिव नृसिंह चक्रवर्ती, दिल्ली सीटू के महासचिव जयंत राय व सचिव जोगेंद्र शर्मा तुरंत फरीदाबाद पर पहुंचे. लेकिन पुलिस ने उनको न तो मौके पर जाने दिया और न ही बादशाह खां अस्पताल में जहां मृतकों और घायलों को ले जाया गया था. और डिप्टी कमिश्नर ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. मृतकों व घायलों की संख्या उससे कहीं बहुत ज्यादा है जितनी की पुलिस बता रही है.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने मांग की है कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद में व्याप्त आतंक को खत्म करने के लिए फौरन कदम उठाए तथा मजदूरों की लंबे अर्से से चली आ रही मांगों को तुरंत स्वीकार करे.

फरीदाबाद के तमाम औद्योगिक मजदूरों को उनके द्वारा हड़ताल वाले दिन प्रदर्शित की गई जुभाह एकता के लिए सीटू उन्हें बघाई देती है.

फरीदाबाद सीटू अध्यक्ष दीवान गांधी का अपहरण

फरीदाबाद सीटू कमेटी के अध्यक्ष दीवान चंद गांधी का 30 अक्टूबर को कनाट प्लेस, नई दिल्ली, से हरियाणा पुलिस द्वारा प्रबंधकों के गुंडों की मदद से अपहरण कर लिया गया है. इस मामले की रिपोर्ट कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है.

दिल्ली सीटू सचिव जोगेंद्र शर्मा ने एक बयान में कहा है कि दीवान गांधी के जीवन को खतरा हो सकता है. उन्होंने केंद्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उसको तुरंत ढूंढने की अपील की है.

यह फरीदाबाद के मजदूरों और उनके परिवारों के खिलाफ बदले की भावना से किया गया है. फरीदाबाद की मजदूर बस्तियों में पुलिस लगातार मजदूरों व उनके परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से पीट रही है. फरीदाबाद में पुलिस आतंक राज कायम है.

धारा 144 के बावजूद समूचे हरियाणा में मजदूरों और किसानों द्वारा भारी विरोध सभाएं

ज्वाइंट ट्रेड यूनिशन एक्शन कमेटी और राजनैतिक दलों के आह्वान पर 28 अक्टूबर को फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूर पीरथला गांव में फरीदाबाद हत्याकांड के विरोध में तथा न्यायिक जांच की मांग के लिए मजदूरों और किसानों की एक भारी सभा हुई. आल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष हरकिशन सिंह सुरजीत, हरियाणा के युवा नेता पृथ्वी सिंह और हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल व अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया.

फरीदाबाद में काले झंडे लहराये गए और मजदूरों ने काले बिल्ले लगाए क्योंकि फरीदाबाद को हड़ताल में शामिल नहीं किया गया था. समूचे राज्य में धारा 144 लगा दिये जाने के बावजूद भी हरियाणा में 17 जगहों पर भारी सभाएं हुईं जिनमें मजदूरों और किसानों ने हिस्सा लिया. राज्य के सारे औद्योगिक केंद्रों—सोनीपत, हिसार, पानीपत, करनाल, यमुना नगर, भिवानी, दादरी, और चंडीगढ़ आदि में एकदम सम्पूर्ण हड़ताल रही.

इन विरोध कार्यवाहियों का खास गुण यह था कि इनमें किसानों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया जो मजदूर-किसान एकता के लिए महत्वपूर्ण है. सोनीपत की सभा को मेजर जयपाल सिंह तथा राजनारायण ने संबोधित किया और यमुना नगर तथा हिसार की सभाओं को हरियाणा सीटू के अध्यक्ष आर. एस. हुड्डा ने संबोधित किया. सभाओं ने फरीदाबाद गोलीकांड तथा भजन लाल सरकार की निंदा की व न्यायिक जांच और गोलीकांड से पीड़ित लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की.

इससे पहले 26 अक्टूबर को सीटू, एस. एफ. आई. और सी. पी. आई. (एम.) की दिल्ली राज्य कमेटी तथा डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने नई दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने एक प्रदर्शन का आयोजन किया.

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने फरीदाबाद मजदूर आंदोलन को मजबूत बनाने और उसके समर्थन में तथा मृतक लोगों के शोकग्रस्त परिवारों की मदद के लिए तुरंत चंदा इकट्ठा करने का आह्वान किया है. दिल्ली सीटू कमेटी ने समर्थन कार्यवाहियों को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

हरियाणा बार काउंसिल ने फरीदाबाद गोलीकांड की भत्सना की है तथा एक डिफेंस कमेटी बनाई है जो मजदूरों के केसों को बिना पैसा लिए लड़ेगी.

प्रेस को अभी तक मिली खबरों के अनुसार फरीदाबाद कांड में मृत लोगों की संख्या आठ से कहीं ज्यादा है.

दिल्ली के कपड़ा मजदूरों की 114 दिन की हड़ताल समाप्त



कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के समझौते की मांग को लेकर कामगार महिलाएँ तथा कपड़ा मजदूरों की पत्नियाँ केंद्रीय उद्योग मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी के घर के सामने 7 अक्टूबर को प्रदर्शन करती हुईं.

—चित्र पैट्रियट से साभार

(रिपोर्ट पृष्ठ 10 और 11 पर)

संपादक मंडल
बी टी रणदिवे
(अध्यक्ष)
पी राममूर्ति
मनोरंजन राय
निरेन घोष
सुघिन कुमार
एम के पंधे
(संपादक)